गेहूं नीति से आमद और खरीद बढ़ी

हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि गेहूं की वसूली के लिए सरकारी एजेंसियों ने जो व्यापक प्रबंध किया उसकी बदौलत किसानों को 110 रुपए प्रति क्विटल न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने लगा है। कुछ मंडियों में सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से कम कीमत पर जो गेहूं बिक रहा है, वह घटिया किस्म का गेहूं है।

देश के सब गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल की कटाई का काम चल रहा है। असम और महाराष्ट्र में यह काम पूरा हो चुका है।

भंडारण की व्यवस्था

सरकारी वसूली एजेंसियां आजकल बड़े सक्रिय रूप से बड़े पैमाने पर गेहूं खरीद रही हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत खरीदे गए गेहूं को भंडारों में संभालकर रखने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है।

लगभग सभी मंडियों में पहले से काफी अधिक गेहूं की आमद और खरीद हो रही है। समर्थन मूल्य योजनाओं के अन्तर्गत सभी गेहूं उत्पादक राज्यों से सरकार ने लगभग 4.3 लाख टन गेहूं खरीदा।

कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा और मंडियों में व्यापारियों द्वारा गेहूं की खरीद करने के बावजूद मंडियों में गेहूं आ भी काफी मात्रा में रहा है और सरकार भी उसे खरीद रही है।

कुल मंडियों में 1.27 लाख टन गेहूं लाया गया, जिसमें से सरकार ने लगभग 1.21 लाख टन खरीदा। इस सीजन में एक दिन में मंडियों में इतना गेहूं पहले न तो आया था और न ही खरीदा गया था। इसे मिलाकर 4 मई 1977 तक सरकार 4.13 लाख टन गेहूं खरीद चुकी है।

विभिन्न राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद इस प्रकार थी—

पंजाब ने 4 मई तक 2,17,280 टन गेहूं वसूल किया जबकि पिछले वर्ष इस दिन तक कुल 1,67,159 टन गेहूं खरीदा गया था। यही नहीं, इस वर्ष आलोच्य अवधि के दौरान 2,41,440 टन गेहूं

मण्डी में अलग-अलग किस्म के गेहूं के अलग-अलग ढेर (भा० कृ० अ० प०)

मंडियों में लाया गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 60,000 टन अधिक है। पंजाब में 2 मई, 1977 को 67,898 टन गेहूं वसूल किया गया जो कि इस सीजन में सारे देश में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं से 17,000 टन अधिक है।

इसके बाद हरियाणा ने सबसे अधिक यानी 1,44,403 टन गेहूं की खरीद की जबकि पिछले वर्ष के दौरान इस राज्य ने 1,23,110 टन की खरीद की थी। हरियाणा में एक दिन की सरकारी खरीद 41,193 टन की रही।

उत्तर प्रदेश में गेहूं की आमद और सरकारी खरीद जोर पकड़ रही है। अमूमन यहां मंडियों में गेहूं पहुंचने में थोड़ी देरी हो जाती है।

पूरे देश में इस मौसम में 4,74,840 टन गेहूं मंडी में आया और 4,13,096 टन की सरकारी खरीद हुई, जबकि पिछले वर्ष यह मात्रा क्रमशः 6,37,634 टन और 5,66,981 टन थी।

पिछले वर्ष इस वर्ष की अपेक्षा आमद और सरकारी खरीद की मात्रा तनिक अधिक थी क्योंकि तब एक तो मौसम अच्छा रहा और गेहूं भी मंडी में कुछ पहले ही आ गया था। इस साल लगभग सभी संबंधित राज्यों में अधिक अथवा सामान्य वर्षा हुई है। पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि इन क्षेत्रों में फसल की कटाई और गहाई में बाधा पहुंची है। पिछले वर्ष वसूली का पूरा काम सरकारी एजेंसियों और सरकारी समितियों के हाथों में था, जबकि इस वर्ष व्यापारी भी सौदे कर रहे हैं।

नई रबी कीमत नीति की एक बड़ी विशेषता यह है कि अनाज को देश के एक भाग से दूसरे भाग में लाने-ले जाने से प्रतिबंध हटा लिए गए और अनाज के लिए पूरे देश को एक क्षेत्र बना दिया गया है। इस नीति की दूसरी विशेषता यह है कि सरकार किसानों से औसत दर्जे का गेहूं 110 प्रति क्विटल के हिसाब से खरीद रही है जिससे कि कुछ खास स्थानों पर गेहूं की कीमत निर्धारित कीमत से कम न हो। फिर भी, केन्द्रीय भंडार में गेहूं का बिक्री-मूल्य 125 रुपए प्रति क्विटल ही रखा गया है। ★

कुरुक्षेत्र

वर्ष 22 **ज्येष्ठ** 1899 **अंक** 8

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

ग्रामीण जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं 2
श्री राजनारायण
लघु उद्योगों के विकास में भारी उद्योगों की भूमिका 4
डा० यादराम सिंह
सहकारिता में विपणन-जनशक्ति का नियोजन एवं विकास 6
डा० जी० एल० कामत
वैदिक काल में गाँव 8
गीता गोयल
किसान कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम 9
हे० कांत कात्यायन
ग्रामीण उद्योग-धंधो में खजूर की उपयोगिता 11
कन्हैयालाल गौड़
कुरुक्षेत्र के बारे में पाठक की राय 12
जीवन सिंह चौहान
मिट्टी महान है 13
बनवारी लाल ऊमर वैश्य
माटी में सोनवां (कविता) 13
बनवारी लाल ऊमर वैश्य
ग्रामीश क्षेत्रों के लिए वरदान : ग्रामीण बैंक 14
ओम प्रकाश शर्मा
हाथों की पूंजी (कविता) 15
राम प्रकाश राही
वृद्धों की ओर भी तो ध्यान दीजिए 16
शशि बाला
प्रगतिपथ हर बढ़ता सिरमौर 18
लघु उद्योगों का निर्यात में योगदान 21
ओम प्रकाश गौड़
कहानी : आशा 23
दलीप सिंह चौहान
रूपक : खुले दरवाजे 25
प्रेक पाठक
पाठकों की राय : विज्ञान और प्रौद्योगिकी 26
निरंकार सिंह
मरुस्थलों में कलियां खिला रहे हम (कविता) 27
सलीम अश्क

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे , वार्षिक चन्दा 5.00 रुपये

सम्पादक : **महेन्द्रपाल सिंह**
उपसम्पादक : **पारसनाथ तिवारी**
शशि चावला
आवरण पृष्ठ : **बलराम मण्डल**

सम्पादकीय

नई ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में 30 वर्ष के शासन काल में हमारे गांव जहां आर्थिक तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में उपेक्षित रहे वहां स्वास्थ्य सुधार पर भी अपेक्षित ध्यान नहीं गया। हमारे कहने का यह अर्थ नहीं कि इस अवधि में गांवों में कुछ हुआ ही नहीं। हुआ पर जो कुछ हुआ वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान हुआ। प्लेग, मलेरिया, तथा चेचक जैसी महामारियों पर तो कुछ काबू पा लिया है पर गांवों में अभी भी तरह-तरह की बीमारियों का बोलबाला है। बीमार ग्रामवासी अपनी चिकित्सा के लिए उन नीम-हकीमों पर ही निर्भर करते हैं जो उनके धन और प्राण दोनों का ही हरण करते हैं।

डाक्टरों, वैद्यों, हकीमों और होम्योपैथ डाक्टरों की शिक्षा-दीक्षा पर सरकार करोड़ों रुपये व्यय करती है पर वे शहरी साधन-सुविधाओं को छोड़ कर गांवों में जाना पसन्द नहीं करते। पर अब यह खुशी की बात है कि हमारी नयी सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के प्रति काफी सजग है और हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने गांवों में चिकित्सा व स्वाथ्य सेवाओं के विस्तार की एक नयी योजना तैयार की है। इस योजना पर अगले चार वर्षों में करीब 5 अरब रुपये खर्च करने का इरादा है और 6 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा इतनी ही दाइयां प्रशिक्षित करने की योजना हैं।

योजनाएं तो पहले भी बनी हैं और आगे भी बनती रहेंगी पर सवाल है उन्हें सही तरीके से अमल में लाने का। योजनाओं को सही ढंग से तभी अमल में लाया जा सकता है जब कार्यकर्ता निष्ठावान हों और उनको सही ढंग से प्रशिक्षित किया जाए। इस नई स्वास्थ्य सुधार योजना के क्रियान्वयन के लिए ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के चयन की जरूरत है जो गांवों में जाकर गरीब ग्रामीणों की तहेदिल से सेवा कर सकें। ये कार्यकर्ता गांवों के पढ़े-लिखे युवकों में से ही चुने जाएं क्योंकि वे ही गांवों के लोगों के दुःख-दर्दों को अधिक महसूस कर सकते हैं।

एक सुझाव यह भी है कि योजना के अधीन गांवों में जो स्वास्थ्य केन्द्र या दवाखाने खोले जाएं उनमें दवा-दारू की कमी नहीं रहनी चाहिए। आज कल गांवों में जो स्वास्थ्य केन्द्र या दवाखाने चालू हैं उनमें दवा-दारु के अभाव की आम शिकायत है और बहुत से दवाखाने तो बिना डाक्टरों और वैद्यों के ही चल रहे हैं। यह एक बड़ी विडम्बना है और इससे पता चलता है कि हमारे स्वास्थ्य विभागों के कर्णधारों का गांवों के **इन स्वास्थ्य केन्द्रों और दवाखानों के प्रति क्या दृष्टिकोण है।**

ग्रामीण जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं

श्री राजनारायण

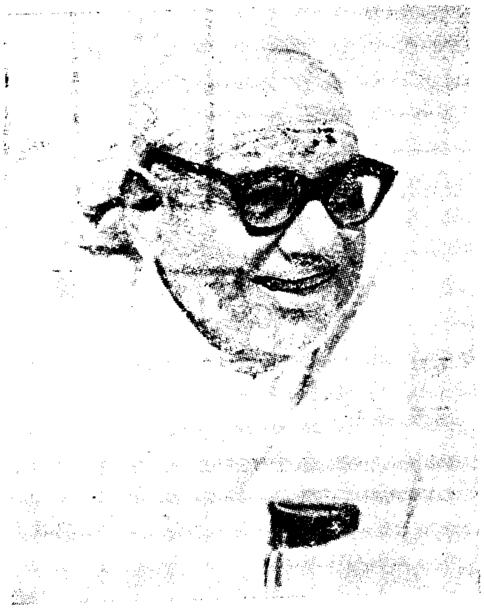

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की देखभाल की सेवाएं गठित करने का जो नया प्रारूप तैयार किया गया है उसके अनुसार लगभग 6 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और उतनी ही दाइयों को देश के 5 हजार से भी अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य के रक्षात्मक एवं अभिवर्धक तथ्यों का अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण देकर गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध की जाएंगी। 1984-85 तक 5 हजार जनसंख्या के पीछे एक-एक बहुद्देश्यीय पुरुष और स्त्री कार्यकर्ता नियुक्त कर दिए जाएंगे। एक हजार जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम अथवा समुदाय को ऐसा प्रतिनिधि चुनने को कहा जाएगा, जो समाज सेवा करने का इच्छुक हो और लोगों का विश्वासपात्र भी हो—उसे सरल और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। वह उसी गांव का होना चाहिए, जहां उसे कार्य करना है और उसका चुनाव गांव सभाओं तथा समाज के अन्य प्रतिनिधि संगठनों द्वारा किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तीन महीने तक प्रशिक्षण के बाद इन व्यक्तियों की परीक्षा ली जाएगी और सफल होने पर एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उन्हें एक ऐसी थैली दी जाएगी जिसमें सामान्य रोगों के उपचार के लिए चिकित्सा प्रणालियों की चुनी हुई कारगर दवाएं होंगी। ये अंशकालिक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बच्चों को रोगों से बचाने के लिए टीके लगाएंगे। अंधता से बचाने के लिए विटामिन 'ए' की गोलियां देंगे और मलेरिया आदि सामान्य रोगों का इलाज करेंगे। मलेरिया बुखार का पता लगाने के लिए जांच के वास्ते खून के नमूने भी लेंगे। इनके काम की प्रगति पर नजर रखी जाएगी और अगर वे अपनी निर्धारित शत-प्रतिशत जनसंख्या तक सेवाएं पहुंचाने में सफल होंगे तो इनका भत्ता बढ़ा दिया जाएगा।

इस योजना के प्रारूप की दो और भी बातें हैं। पहली में योग्यता प्राप्त चिकित्सकीय देखभाल की सुविधा लोगों के घर-घर तक पहुंचाने की संभावना पर विचार किया गया है। देश के कुछ भागों में यह शिकायत है कि परीक्षा पास कर लेने वाले नए डाक्टरों के लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं। दूसरी ओर स्थिति यह है कि मैडीकल कालेजों से परीक्षा पास कर निकलने वाले डाक्टर चाहे वे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के अथवा परंपरागत प्रणालियों के या होम्योपैथी के हों, वे खास कर शहरी क्षेत्रों में ही रहना चाहते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए एक सुझाव यह है कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के डाक्टर, जो अभी तक के एक वर्ष के इंटर्नशिप की अवधि में अस्थायी रजिस्ट्रेशन पाते हैं और इस अवधि को पूरा करने के बाद पूर्ण रूप से रजिस्ट्रेशन पाते हैं, दो अतिरिक्त वर्षों तक अस्थायी रजिस्ट्रेशन के आधार पर रखे जाएं और दो वर्ष की इस अवधि में उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों पर काम करने के अवसर दिए जाएं। अन्य चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों के साथ ऐसी ही व्यवस्था की जा सकती है। दो वर्ष की इस अवधि के बाद डाक्टर अपनी इच्छानुसार कार्य प्रणाली का चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार 30 हजार से 32 हजार तक डाक्टर गांव में पहुंच जाएंगे और संभवत: प्रति दस हजार ग्रामीण जनसंख्या के पीछे एक डाक्टर हो जाएगा।

पहले यह सोचा गया था कि 1977-78 में केवल 25 मैडीकल कालेजों से कहा जाए कि वे तीन-तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों को अपना लें। अब मेरा विचार आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा देने वाले सभी 106 मैडीकल कालेजों से यह कहने का है कि वे पहले वर्ष में तीन-तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अपना लें और उसके बाद पूरे जिले के केन्द्र जब तक उनके अधीन न आ जाएं तब तक प्रति वर्ष तीन-तीन केन्द्र वे और लेते जाएं। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी की डिग्रियां देने वाले कालेजों में भी यथा संभव यही व्यवस्था की जा रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक और राष्ट्रव्यापी व्यवस्था करने का समूचा दायित्व सरकार पर है और दुर्भाग्य से 25 साल के आयोजन में भी देश की अधिकांश जनता के लिए ऐसी सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हुई। सरकारी नियंत्रण में प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक सेवाएं अपर्याप्त हैं और असंतोषजनक भी। इसलिए ऐसे अंशकालिक और अर्ध-व्यावसायिक कार्यकर्ताओं के समूह तैयार करने की आवश्यकता है जो लोगों के निकट सम्पर्क में हों और न केवल परिवार कल्याण सेवाओं सम्बन्धी निरोधात्मक सेवाएं उपलब्ध करें वरन् ऐसी रोजमर्रा की बीमारियों के लिए आधारभूत चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध करें जो

सम्पूर्ण रोगों के लगभग 80% के बराबर हैं।

परिवार नियोजन को पूर्णतः स्वैच्छिक कार्यक्रम के रूप में तेजी से चलाया जाएगा और यह एक व्यापक नीति का अभिन्न अंग रहेगा जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, माताओं और शिशुओं की देखभाल, परिवार कल्याण, महिला अधिकारों और पोषण का समावेश होगा।"

परिवार कल्याण और माताओं तथा शिशुओं की देखभाल के काम में पहले ही काफी समन्वय हो चुका है, इसको और अधिक मजबूत बनाना होगा। साथ ही, यह भी देखना होगा कि परिवार कल्याण एवं माता एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को जन कल्याण के व्यापक कार्यक्रम में उचित स्थान दिया जाए। इसके लिए हम सब वचन बद्ध हैं।

आबादी की अनियंत्रित वृद्धि का न केवल परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है वरन् यह जन-जीवन और पारिवारिक जीवन को भी जटिल बनाती है। मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि अधिकांश लोग इस बात को समझते हैं। वे मातृत्व और पितृत्व के दायित्व के महत्व को समझते हैं और यदि उन्हें आवश्यक जानकारी और समुचित सेवाएं सुलभ की जाएं तो वे छोटे परिवार के सिद्धान्त को अपनाएंगे। इसके लिए शिक्षा और प्रेरणा के एक जोरदार और सतत कार्यक्रम की आवश्यकता है। साथ ही 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सामान्य स्कूली पाठ्यक्रम के अन्तर्गत जनसंख्या की शिक्षा दी जानी चाहिए।

भारत की जनसंख्या हर महीने 10 लाख की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जन्म-दर लगभग 34.5 प्रति हजार है। हमारा लक्ष्य जन्म-दर को कम करके मार्च, 1979 तक 30 प्रति हजार तक और मार्च, 1984 तक 25 प्रति हजार तक लाना है। जैसा कि मैं पिछले दिनों कई अवसरों पर कह चुका हूं, मैं उसे पुनः दोहराना चाहूंगा कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हो। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की जोर-जबर्दस्ती या दबाव नहीं होना चाहिए और सभी तरीकों पर बराबर जोर देना चाहिए। परिवार कल्याण का अर्थ सिर्फ नसबन्दी ही नहीं है। लेकिन जो लोग स्वेच्छा से नसबन्दी कराना चाहते हों, उन्हें नसबन्दी की सुविधाएं दी जानी चाहिए। नसबन्दी के मामले में अब भविष्य में कभी भी जबर्दस्ती नहीं की जाएगी। हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं में बहुत कुछ ऐसा है जिसे सीख कर हम परिवार कल्याण के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया था और भारत में अनेक लोग इसे अपना रहे हैं। आत्म-नियंत्रण और इन्द्रिय निग्रह के तरीके भी युगों से प्रचलित है और ऐसा कोई कारण नहीं जान पड़ता कि आधुनिक विज्ञान के उपयोग की तीव्र इच्छा के कारण हम इन तरीकों की उपेक्षा कर दें। मैं इन्हें अत्यधि कमहत्वपूर्ण मानता हूं और इस बात पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि इन तरीकों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरणा के सभी माध्यमों का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए। परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतः स्वैच्छिक कार्यक्रम है। सामान्य लोगों में इसे प्रचलित करने के लिए यह जरूरी है कि इसमें सभी लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाए।

चेचक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने इस देश में काफी जांच-पड़ताल और क्षेत्रीय स्थिति के गहन अध्ययन के बाद 23 अप्रैल, 1977 को यह प्रमाण पत्र दिया है कि हमारा देश चेचक से मुक्त हो चुका है। इस सफलता के लिए देश के कर्मचारियों और अधिकारियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जो सहयोग दिया है उसके लिए सरकार आभारी है। मलेरिया के बारे में एक नई संशोधित नीति अपनाई जा रही है। जिन क्षेत्रों में एक हजार जनसंख्या के पीछे दो या दो से अधिक मलेरिया के केस होंगे, वहां कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाएगा और उपचार की उचित सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इससे कम प्रकोप वाले क्षेत्र में इलाज की सुविधाएं जारी रहेंगी। यह पक्का इंतजाम कर दिया गया है कि कीटनाशक और मलेरिया उन्मूलन दवाएं समुचित मात्रा में उपलब्ध हों।

भारत में लगभग 37 करोड़ 20 लाख व्यक्ति ऐसे 210 जिलों में रहते हैं जहां पर इस रोग का प्रकोप है—कहीं सामान्य, कहीं तीव्र। कुष्ठ रोग के अनुमानित 32 लाख केसों में से लगभग 17 लाख 30 हजार केसों का पता लगाया गया है और उनका उचित उपचार किया गया है। कुष्ठ रोग के बारे में सामाजिक भ्रांतियों और दूषित भावनाओं को दूर करना जरूरी है, साथ ही ऐसे उपाय भी खोजना आवश्यक है, जिनसे लोगों को इस सम्बन्ध में सही जानकारी मिले और कुष्ठ रोगियों के प्रति व्याप्त घृणा का भाव दूर किया जा सके। तपेदिक, हैजा, फाइलेरिया और यौन रोगों पर काबू पाने के प्रयास तेज किए जाने चाहिए। देश में लगभग 80 से 90 लाख लोग तपेदिक से पीड़ित हैं। इनमें करीब 20 लाख रोगी हैं जिनसे यह बीमारी दूसरे व्यक्तियों में फैल सकती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को बी. सी. जी. के टीके लगाने, तपेदिक के रोगियों का पता लगाने और उनके इलाज में मदद करने के काम में लगाया जाएगा।

देश में लगभग साढ़े चार करोड़ लोग आंखों की बीमारियों से पीड़ित हैं। लगभग ढाई लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी दृष्टि कुपोषण, और आंख को चोट लग जाने से जाती रही है। सरकार ने आंखों की बीमारियों और दृष्टिहीनता पर नियंत्रण के लिए नवम्बर, 1976 में राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए 80 चलते-फिरते यूनिट स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक यूनिट एक-दूसरे से जुड़े हुए पांच जिलों में कार्य करेगा। ये केवल मोतिया बिन्द नेत्र शिविर के तौर पर ही नहीं, आंखों की व्यापक देखभाल का कार्य करेंगे। ★

लघु उद्योगों के विकास में भारी उद्योगों की भूमिका

डा० यादराम सिंह

मद्रास राज्य के तन्जौर जिले में ग्रामीण टोकरियां बनाते हुए

किसी भी राष्ट्र के विकास में लघु और भारी उद्योगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी क्षेत्र एक दूसरे की सहायता किए बिना समृद्ध नहीं हो सकता। कुछ उद्योग ऐसे हैं कि जिनका आकार एक निश्चित सीमा के परे कम नहीं किया जा सकता। जैसे :— ओटोमोबाइलउद्योग, उर्वरक कारखाने, रासायनिक तथा इस्पात उद्योग इत्यादि। इन क्षेत्रों में लघु इकाइयों का लगाना आर्थिक कारणों से सम्भव नहीं हो सकता। इसी प्रकार बड़े कारखानों में कुछ काम ऐसा होता है जिसे लघु-उद्योग इकाइयों द्वारा सुचारु रूप से किया जा सकता है। आर्थिक लाभ की दृष्टि से बड़े कारखानों में इस प्रकार के कार्य नहीं किए जा सकते। यही कारण है कि आज विश्व के विकसित देशों में भी लघु उद्योग इकाइयां चल रही हैं। जापान की अर्थ व्यवस्था तो इसका जीता जागता सबूत है। जहां जापान में सोनी तथा मितुविसी जैसे भारी उद्योग समूह काम करते हैं, वहां दूसरी तरफ लघु उद्योगों का भी जाल बिछा हुआ है।

जापान में 99% संख्या लघु उद्योगों की है। इस प्रकार बड़े और छोटे उद्योगों का क्रियात्मक सामंजस्य ही आज जापान और जर्मनी जैसे देशों की अर्थ व्यवस्था का एक मजबूत आधार है।

यू० एस० ए० के विशाल उद्योग ड्यू पौन्ट, फोर्ड मोटर तथा जी० ई० सी० ने सहायक उद्योगों को काफी बढ़ावा दिया है। लघु इकाइयां इन विशाल कारखानों के लिए पुर्जे इत्यादि बनाती हैं। इन्हीं लघु उद्योगों की वजह से आज इन बड़े-बड़े व्यापार समूहों को अपने प्रतिष्ठानों को एक सीमा में रखने में मदद मिली है अन्यथा इनका आकार और भी बड़ा हो जाता और इनका प्रबन्ध एक समस्या पैदा कर सकता था। नतीजा यह है कि धन का उपयोग विकास और शोध कार्यों में भी किया गया। आज उद्योगों का ढांचा एक पिरामिड की तरह है। इस पिरामिड का आधार लघु उद्योगों से है तथा बड़ी इकाइयां एक शीर्ष बिन्दु की तरह हैं।

हमारे देश में भी सहायक उद्योगों का विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस ओर बड़े उद्योगों का ध्यान जितना जल्दी जाएगा उतना ही तीव्र विकास होगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत में कुशल कारीगरों की कमी नहीं। दूसरी तरफ पूंजी की कमी है तथा बेरोजगारी की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है और इसका एकमात्र समाधान सहायक उद्योगों के विकास से किया जा सकता है जिनमें जनशक्ति का उपयोग किया जा सके तथा कम पूंजी निवेश से काम चल जाए। अनुमान किया जाता है कि 1 लाख रुपए की लागत से लघु उद्योग में 21 आदमियों को रोजगार दिया जा सकता है तथा इतने ही धन से बड़े उद्योगों में सिर्फ 5 आदमियों को। लघु उद्योगों में उत्पादन भी करीब तीन गुना ज्यादा होता है यदि लागत को ध्यान में रखकर उसकी तुलना बड़े उद्योगों से की जाए।

आज देश के अधिकांश प्रतिष्ठान इस सिद्धान्त को मानने लगे हैं। बहुत से सरकारी संस्थान जैसे एच० एम० टी०, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, आई० टी० आई० तथा बी० एच० ई० एल० इस ओर समुचित ध्यान दे रहे हैं। फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया ने छोटे उद्योगों की योजना बनायी है।

दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के कारखाने, विशेष कर ट्रेक्टर, आटोमोबाइल, तथा स्कूटर उद्योग इस दिशा में विशेष दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बाइसिकिल उद्योग

का काम भी काफी सराहनीय है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सहायक उद्योगों का विकास काफी हद तक मूल उत्पादन इकाई के मालिकों की दिलचस्पी पर निर्भर रहता है। यही कारण है कि इस दिशा में कुछ उद्योगपतियों ने काफी काम किया है और कुछ लोगों ने इधर ध्यान भी नहीं दिया। कुछ लोग सब कुछ अपने ही कारखानों में बनाना चाहते हैं और यह समझते हैं कि इससे वे ठीक स्तर का उत्पादन समय पर कर सकेंगे। दूसरी तरफ जैसे ट्रैक्टर उद्योग ने सहायक उद्योगों पर काफी बल दिया है और उनका पूरा विकास किया है।

बड़े कारखानों का यह विश्वास कि वे सब सामान अपने यहां स्वयं बनाएं, गलत है और इस प्रकार के कारखाने थोड़े समय बाद वित्तीय परेशानियां, मजदूर समस्या और शिथिल मांग के जाल में फंस जाते हैं तथा अपनी स्थिति बिगाड़ लेते हैं। विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त अपनाने से बहुत से कारखाने इन परेशानियों से बच गए हैं। दवाई उद्योग, जो आज यह विश्वास किए बैठा है कि विकेन्द्रीकरण उनके यहां सम्भव नहीं है, भूल में है तथा इस दिशा में शीघ्र ही ध्यान देना पड़ेगा। आवश्यकता इस बात की है कि धारणा को बदला जाए। जब तक सैद्धान्तिक रूप सेस हमति नहीं होगी, सफलता मिलना कठिन है। दूसरे शब्दों में जब तक मूल उद्योग और सहायक उद्योग में स्वस्थ सम्बन्ध आर्थिक लाभ के सिद्धान्त पर नहीं बनते, इस दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिलना कठिन है।

एक सबसे बड़ी बाधा जो आज लघु उद्योगों के विकास में आ रही है, वह है बड़ी इकाइयों द्वारा देर से भुगतान करना। कभी-कभी छोटी इकाइयों को छह महीने या एक साल बाद पैसे का भुगतान किया जाता है। आज जब कि बैंक की दरें इतनी ऊंची है, कोई भी छोटी इकाई अपने भुगतान का छह मास या एक साल का इन्तजार नहीं कर सकती। यह माना जा सकता है कि बैंकों से यथा समय ऋण न मिलने की वजह से कुछ बड़े उद्योगों के पास पैसे की कमी है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि छोटी इकाइयां बड़ी इकाइयों को सामान बना कर दें तथा साथ ही साथ ऋण सुविधा भी दें। कुछ बड़े उद्योग इस प्रकार लघु उद्योगों का शोषण कर रहे हैं और लघु इाकइयों के पैसे से व्यापार कर रहे हैं। इस दिशा में बड़े उद्योगों को विचार करना चाहिए और इस अनैतिक प्रथा को तुरन्त बन्द करना चाहिए। सरकार का भी कर्तव्य है कि इसके लिए कोई सिद्धान्त बनाए। कानून से शायद इस समस्या का पूरा हल सम्भव न हो सके। जापान में कानून द्वारा इस प्रकार के देर से भुगतान करने की प्रथा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। आज हमें क्या करना चाहिए जिससे कि यह शोषण बन्द हो, इस पर सरकार को तुरन्त ध्यान देना होगा अन्यथा लघु उद्योगों का विकास रूक जाएगा।

बड़े उद्योग आमतौर पर एक पुर्जे के बनवाने का काम 2 या 3 इकाइयों को सौंप देते हैं जिससे उनमें प्रतिस्पर्धा रहे तथा उनको समय पर सामान मिल जाय। किसी हद तक यह समय पर उत्पादन करने के लिए आवश्यक कहा जा सकता है। परन्तु लघु उद्योगों की उत्पादन क्षमता का उपयोग पूरा नहीं हो पाता तथा सब की सब लघु इकाइयां अस्वस्थ रहती हैं। कर्नाटक में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इन उद्योगों में 48% क्षमता का उपयोग नहीं होता तथा कुछ इकाइयां इस क्षमता का प्रयोग निर्यात के लिए कर सकती हैं। परन्तु जब तक ठोस प्रयास न किया जाए यह भी पूर्ण रूप से सम्भव नहीं।

आज भारत को अविकसित देश कहना ठीक नहीं, विशेष तौर पर हमारा इंजीनियरिंग उद्योग काफी विकसित है, हमारी तकनीकी क्षमता भी काफी है और यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आज भारत पिछड़े देशों में सबसे ज्यादा विकसित हैं। दुनिया के विकसित देश आज बढ़ती हुई मजदूरी की दरों के कारण भारत जैसे देशों से बना बनाया माल खरीदना अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि हमारी मजदूरी की दरें आज भी काफी कम हैं। यही कारण है कि इंजीनियरिंग उद्योग में बनी उन भारतीय वस्तुओं की मांग, जिनमें मजदूरों का योगदान अधिक है दुनियां में बढ़ती आ रही हैं। हमारे लघु उद्योगों को इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। विदेशों के काफी उद्योग आज भारत में आकर इस सम्भावना का पता कर रहे हैं कि वे किन वस्तुओं का भारत में निर्माण कराएं। इस प्रकार उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग हो सकेगा तथा देश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी।

एक चेतावनी देना आवश्यक है कि जो वस्तु बाहर जाए उसकी पूरी परीक्षा की जाए जिससे कि घटिया माल बाहर न जाए और देश की बदनामी न हो। हमारे देश की तकनीकी संस्थाओं का इस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम है और यदि उनका सहयोग लघु उद्योगों को मिले तो निश्चय ही सफलता मिलेगी।

आज के युग में कोई भी उत्पादन इकाई तब तक सफल नही हो सकती जब तक कि उसका वितरण का ढांचा स्वस्थ न हो। लघु इकाइयां पूंजी की कमी की वजह से काफी योग्य लोगों को अपने प्रबन्ध में नहीं रख सकती जबकि बड़े उद्योग विशेषज्ञों को भी अपने पास रख सकते हैं। कभी-कभी प्रबन्ध कुशलता का ढांचा भी विदेशी तरीकों पर आधारित होता है और लघु इकाइयों के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। इस प्रकार इन इकाइयों को उपयुक्त संचालक नहीं मिल पाते तथा प्रबन्ध ठीक से नहीं चलता। इस समस्या का समाधान छोटे-छोटे व्यावसायिक प्रशिक्षणों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस कमी को पूरा किया जा सकता है। संक्षेप में आज के बड़े उद्योगों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे लघु उद्योगों को बढ़ावा दें, उनका शोषण न करें तथा उनकी तकनीकी मामलों में मदद करें जिससे कि एक स्वस्थ औद्योगिक ढांचा तैयार हो और देश आगे बढ़े।

ए-138, विवेकविहार,
दिल्ली-110032.

सहकारिता में विपणन-जनशक्ति का नियोजन एवं विकास

डा० जी० एल० कामत

विभिन्न आंकड़ों को देखने पर भारत में सहकारी विपणन ढांचे को काफी बड़ा कहा जा सकता है। इस समय हमारे देश में मंडी-स्तर पर 3262 प्राथमिक विपणन समितियां, राज्य-स्तर पर 24 सरकारी विपणन फैडरेशन, लगभग 369 जिला क्षेत्रीय-स्तर की समितियां तथा एक अन्तर्राज्यीय सहकारी विपणन संगठन कार्यरत हैं। किंतु यह व्यवस्था काफी कमजोर रही है और देश की कुल कृषि-उपज के विपणन के 8 से 10% से अधिक भाग को अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ रही है। आंकड़ों से प्रमाणित हो गया है कि बड़ी मुश्किल से 20% प्राथमिक विपणन समितियां दस लाख रु० प्रतिवर्ष की कुल बिक्री कर पाई हैं जबकि एक विपणन समिति तभी आत्म-निर्भर होने की आशा कर सकती है जबकि उसका व्यापार कम से कम 30 लाख रु० का हो। 1973 में लगभग 57% प्राथमिक विपणन समितियां लाभ अर्जित कर रही थी और उस वर्ष उनका कुल शुद्ध लाभ 545·50 लाख रु० था। उसी वर्ष लगभग 30% समितियां घाटे में चल रही थीं और 13% तो केवल अपना चालू खर्चा ही पूरा कर पाईं। सभी समितियों का लगभग एक तिहाई भाग तो विपणन कार्य-व्यापार में ही संलग्न नहीं हुआ और ये समितियां पूर्ति व अधिप्राप्ति से ही संतुष्ट होकर रह गई।

सहकारी विपणन ढांचे की विफलता का एक मुख्य कारण रहा है, उस जन-शक्ति के प्रति असावधानी जोकि विपणन समितियों को उपलब्ध थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जन पूंजी किसी भी संस्था के लिए एक आधारभूत साधन होती है। यदि इसके उचित उपयोग की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाए तो कोई भी व्यवसाय उत्तरोत्तर विकास की दिशा में अग्रसर हो सकता है यद्यपि उसके पास भौतिक व वित्तीय साधन सीमित मात्रा में ही हों।

जून, 1973 के अंत में 2325 विपणन समितियों के पास अपने निजी प्रबंधकीय कर्मचारी थे जबकि 1339 समितियों ने प्रांतीय सहकारी विभाग से अधिकारी-गण उधार ले रखे थे। विभिन्न विपणन समितियों में विभिम्न स्तरों पर 11,133 अप्रशिक्षित कर्मचारी कार्यरत थे। स्पष्ट है कि ऐसे वातावरण में सहकारी विपणन ढांचे के लिए बेहतर कार्य कर दिखाना कठिन था। समय-समय पर ये सुझाव दिए गए हैं कि सहकारी विपणन तथा खाद्य-संरक्षण समितियों के लिए महत्वपूर्ण कर्मचारियों के साझे, पूल व संगठन की व्यवस्था होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश इस योजना को व्यावहारिक रूप देने की गति बहुत धीमी रही है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि प्राथमिक विपणन समितियों ने अपने प्रबन्ध में अधिकारियों की सेवाओं की प्रतिनियुक्ति के प्रति प्रायः प्रतिरोध प्रदर्शित किया है।

पुनर्जीवित समितियां :—जिन रुग्ण समितियों को पुनर्जीवित करने का निर्णय किया गया है, उनके लिए कम से कम प्रारम्भिक कदम तो उठाए ही जा सकते हैं। किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि प्राथमिक समितियों को पुनर्जीवित करने का उत्तरदायित्व तो प्रान्तीय सरकारों का है जबकि इसके लिए वित्तीय साधन राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि कुछ चुनी हुई प्राथमिक समितियों को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रान्तीय सहकारी विपणन फैडरेशनों पर ही छोड़ दिया जाए तो आशा की जा सकती है कि कम समय में अच्छे अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि परिणाम सन्तोषजनक हों तो फिर अनुकूल वातावरण में इस योजना को बाकी समितियों पर भी लागू किया जा सकता है इससे पहले कि वे अपना कार्य-व्यापार आरम्भ करें।

कुछ राज्यों में, बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं प्रान्तीय-विपणन फैडरेशन तथा प्राथमिक विपणन समितियों के लिए प्रतिनियुक्त की गई हैं। ऊपर से देखने पर शायद इन विपणन समितियों के लिए स्वतंत्र रूप से साझे संगठन की बात व्यावहारिक न लगे किन्तु यदि आरम्भिक स्थिति में पहले से नियुक्त अधिकारियों का एक पूल बना लिया जाए और इस पूल में अधिकारी दीर्घकाल तक इन विपणन समितियों को उपलब्ध होने रहे तो सम्बन्धित अधिकारी अपनी कार्य कुशलता का श्रेष्ठ परिचय दे पाने में समर्थ होंगे और इससे समितियों का कार्य-व्यापार भी बढ़ेगा। इसके बाद एक दीर्घकालीन योजना बनाई जा सकती है जिसके अन्तर्गत विपणन समितियों के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि वे उन सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकें जो एक निश्चित समय के बाद अपने सम्बन्धित विभागों को वापिस चले जाएंगे।

यहां शिखर विपणन फैडरेशनों के स्तर पर स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित तकनीकी सम्बन्धी केन्द्रों की चर्चा भी की जानी चाहिए। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के निर्देश पर कार्यान्वित की जाने वाली यह एक अति उत्तम योजना है। शिखर फैडरेशनों तथा उनसे सम्बद्ध दीर्घकाय विपणन समितियों में विपणन और खाद्य-संरक्षण क्रिया-कलाओं में विविधता लाए जाने की आवश्यकता बढ़ रही है। किंतु इसके लिए उन्हें प्रबन्ध के विभिन्न क्षेत्रों में जैसा कि

* वैकुण्ठ मेहता, सहकारी प्रबंध संस्थान, पुने

संचालन, वित्त, संरक्षण यूनिटों की स्थापना व संचालन, बाजार—ज्ञान, वर्गीकरण आदि के लिए प्रशिक्षित (तकनीकी ज्ञान वाले) अधिकारियों की कमी महसूस होती रही है। लगभग उन्नीस प्रकार के विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए विपणन समितियों को राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता उपलब्ध हैं। जो विपणन संगठन अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थे, उन्होंने इस योजना से तुरन्त लाभ उठाया। किन्तु कुल मिलाकर कोई भी विपणन संगठन एक विशेष काल के लिए स्वतंत्र रूप से तकनीकी समूह कायम करने में असमर्थ रहा है। राजकीय-सहायता की अवधि की समाप्ति के बाद, एक-एक करके, विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ या तो इन समितियों द्वारा वापिस लौटा दिए गए और या उन्हें सम्बद्ध फैडरेशनों में मामूली पदों पर लगा दिया गया। अतः इस अत्यधिक लाभदायक योजना की पूर्ण विफलता जहां विपणन-समितियो की अयोग्यता की परिचायक है वहां इन समितियों द्वारा व्यापार के विभिन्न विपणन पहलुओं के प्रति (जिनमें इन समितियों को रूचि लेनी चाहिए थी) अज्ञानता की द्योतक है। सहकारी विपणन व्यवस्था का दायित्व कृषि-उपज के विपणन, उसके संग्रहण, परिवहन, संरक्षण, बाजार-ज्ञान, कृषि में प्रयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं को उचित व प्रतियोगी मूल्य पर तथा ग्रामीण इलाकों में दूसरी सेवाओं को उपलब्ध कराने की दिशाओं में बढ़ता जा रहा है। सहकारी विपणन संस्थाओं को विशेष रूप से देश तथा विदेश की मंडियों में प्रतिस्पर्धा की भावना से भी कार्यरत होना होगा।

इस प्रकार राज्य-स्तरीय फैडरेशनों को अपने से सम्बद्ध प्राथमिक समितियां का विपणन कार्य-व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय नेतृत्व करना होगा। समूचे तौर पर नैफेड को अपने से सम्बन्धित फैडरेशनों तथा समितियों की ओर से अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा निर्यात के क्षेत्र में अधिकाधिक दायित्व का वहन

सहकारी किराना स्टोर, झुन्झुनूं

करना होगा। विभिन्न दिशाओं में किए जाने वाले इन प्रयत्नों का लाभ निचले स्तर पर प्राथमिक समितियों तक भी पहुंचना चाहिए तथा इस सम्पूर्ण प्रणाली द्वारा प्रतियोगी मूल्यों पर तथा कुशलता पूर्वक विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अतः जब तक विपणन संगठन आधुनिक ढंग से अपने कर्मचारी निकाय स्थापित नहीं करते जिनको कि आवश्यक तकनीकी ज्ञान हो तथा मिश्रित व्यापार के संचालन में सक्षम हों, तब तक समूचे तौर पर भविष्य में इनका जीवित रह सकना शायद सम्भव न हो। छोटी-छोटी विपणन समितियां जो अलग-अलग रहते हुए निर्बल जनशक्ति तथा लगातार घटते हुए व्यापार पर आधारित रह कर कार्यरत हैं, उपर्युक्त संघीय व्यवस्था को आवश्यक सहायता व शक्ति प्रदान नहीं कर पाएंगी। मंडियों का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और विपणन व्यापार अधिकाधिक प्रतियोगितात्मक होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप, विपणन संगठनों के अधिकारियों को न केवल अपने लिए जन-शक्ति का विकास करना होगा अपितु विपणन समितियों को भी यथा सम्भव समन्वित ढंग से उनके मानवीय साधनों को शक्तिशाली बनाने की दिशा में उचित मार्ग दर्शन व सहायता देनी होगी। यह तभी सम्भव है जब विपणन फैडरेशन अपनी-अपनी विपणन समितियों की जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं का फिर से अध्ययन करें, और यदि आवश्यक हो तो सहकारी विपणन के हित में सरकार द्वारा भी कानून की सहायता से विभिन्न फैडरेशनों को उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए विपणन अधिकारियों का पूल बनाने और उसे विकसित करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। अधिकारी वर्ग के संदर्भ में यदि नैफेड तथा प्रान्तीय विपणन फैडरेशनों के बीच, और फैडरेशनों तथा सम्बद्ध समितियों के बीच, अधिक सहयोग हो तो व्यापार के स्तर पर शीघ्र ही श्रेष्ठ परिणाम सामने आ सकते हैं। इन सब प्रयत्नों के निष्कर्ष के रूप में, सहकारी विपणन व्यवस्था एक प्रणाली के रूप में भी, विपणन-व्यापार को विकसित करने में तथा उसे विविधता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

★

अनु०-दर्शनकुमार पब्बी
अंग्रेजी विभाग,
रामलाल आनन्द कालेज,
आनन्द निकेतन मार्ग,
नई दिल्ली-110021.

वैदिक काल में गांव ★ गीता गोयल

आवश्यकता आविष्कार की जननी है" सृष्टि के प्रारम्भ से ही मनुष्य ने परिस्थितियों को अपने अनुकूल अथवा स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल बनाया है। तभी से मानव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा है, उसने जलवायु की कठोरता को सहन किया और अपनी भूख मिटाने के लिए पशु-पक्षियों का आहार किया। अपने शरीर को पेड़ों की छाल और पत्तों से ढका तथा अपना एक संगठन बनाया। यह संगठन ही विकसित रूप में 'गांव' की आधार शिला है। खेतों, पालतू-पशुओं और सहयोगियों के साथ मानव ने परिवार और परिवारों के समूहों को गांव बनाया।

इस प्रकार वैदिक काल तक पहुंचते-पहुंचते गांवों ने इतना विकसित रूप धारण कर लिया कि वे सभ्यता के केन्द्र बन गए। आर्येतर, शक, हूण आदि जातियां इतना विकास नहीं कर पाईं थी जितना कि आर्यों ने किया। आर्यों ने गांवों के निर्माण में यह विशेष रूप से ध्यान रखा कि गांव खेतों के निकट तथा ऐसे स्थानों पर बसाए जाएं, जहां कि जल की भी सुविधा हो। इससे स्पष्ट है कि आर्यों की संस्कृति प्रायः ग्रामीण संस्कृति ही थी।

वैदिक युग में लोग गांवों में घर बना कर रहते थे और घरों के निर्माण में यज्ञशाला का विशेष महत्व होता था। घर के चार भाग होते थे—अग्निशाला, हविर्धान और स्त्री सदन।

जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए व्यक्ति बहुत कुछ स्वयं समर्थ होता था। गांवों में आवश्यक वस्तुएं वहीं पैदा कर ली जाती थीं। कृषि और पशुपालन ही गांवों के प्रमुख व्यवसाय थे परन्तु अनेक प्रकार के उद्योगों और शिल्पों का भी विकास हो चुका था।

कृषि के लिए लकड़ी और धातु के हल बनाए जाते थे और इनको बैलों द्वारा जोता जाता था। सिंचाई की भी व्यवस्था थी। आर्यों का प्रमुख अन्न जौ था। इसके अतिरिक्त, गेहूं, धान, तिल आदि भी बोए जाते थे।

ग्रामीण आर्यों के जीवन में पशुओं का बहुत अधिक महत्व था। गौ, बैल, भेड़ और बकरी उनकी आजीविका के लिए बहुत आवश्यक थे। बैल कृषि के लिए आवश्यक था, गाय और बकरी से दूध लिया जाता था और भेड़ों से ऊन प्राप्त की जाती थी। आर्यों के लिए गौ बहुत मूल्यवान और पूजनीय थी। गौ का वध नहीं किया जा सकता था। घोड़ा भी एक मूल्यवान् पशु था। गोधन के साथ वाजिधन की प्रार्थना वेद के मन्त्रों में की गई है। घोड़ों का उपयोग युद्धों के लिए, रथों को खींचने के लिए तथा तीव्रगामी सवारी के लिए आवश्यक रूप से होता था। कुत्तों को भी घरों में रक्षा तथा शिकार में सहायता के लिए पाला जाता था।

गांवों में उद्योगों का भी प्रचुर विस्तार हुआ था। कपड़े का उद्योग काफी विकसित हुआ था, जुलाहे कपड़ा बुनते थे, वस्त्र मुख्य रूप से ऊन से बनते थे। रथ बनाना, चमड़े का सामान बनाना, सोने के आभूषण, हथियार बनाना, नौका बनाना आदि उद्योगों का विस्तृत परिचय हमें वेदों से मिलता है।

आर्यों का भोजन सादा और पौस्टिक होता था। घी, दूध, दही आदि का वे प्रचुर प्रयोग करते थे। अनाजों में गेहूं और चावल अधिक प्रयोग में आते थे। भोजन में मांस का भी प्रयोग होता था। उनके पेय पदार्थों में जल और दूध के अतिरिक्त सोम और सुरा का भी स्थान था। मधु का उल्लेख वेदों में आता है सम्भवतः यह शब्द शहद और सुरा दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में सोम रस को बहुत महत्व दिया गया है। यह मुज्जवान् पर्वत पर उत्पन्न होने वाली सोम लता का रस था। इसको विशिष्ट विधियों से निकाला जाता था। यज्ञों के अवसरों पर सोमपान करने के लिए देवताओं का आह्वान किया जाता था।

ग्रामीण आर्य अधिकतर ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कपास के वस्त्रों का प्रचलन कम था। ऋग्वेद में वर्णित वस्त्रों में अधोवस्त्र और उत्तरीय उल्लेखनीय हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। वेदों में रुक्म और निष्क आदि आभूषणों का उल्लेख मिलता है। वे लोग आभूषण गले में, वक्षःस्थल पर, कानों, हाथों और पैरों में पहनते थे।

आर्य नृत्य-गान, रथ-दौड़ और घुड़-दौड़ से अपना मनोरंजन करते थे। उन्हें संगीत के सात स्वरों की पहचान थी। वे अनेक प्रकार के वाद्य दुन्दुभि, कर्करी, बाण, जाली आदि बजाते थे। मनोविनोद के लिए जुआ खेलने का वर्णन भी आता है परन्तु जुआ खेलने की हानियां भी बताई गई हैं।

वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में, मैं कहूंगी कि उस समय गांवों में स्त्रियों की स्थिति, वर्तमान ग्रामीण नारी से भी श्रेष्ठ थी। समाज में नारियों को देवियों के समान आदर दिया जाता था। पिता के घर में कन्या बहुत अधिक स्नेह और सम्मान पाती थी। ब्रह्मचर्य का पालन करना उनके लिए अनिवार्य था और वे उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं। अपने लिए योग्य पति का वरण करने के लिए वे स्वतन्त्र होती थी। विवाह होने के बाद नारियों का पति के

घर पर पूरा अधिकार होता था। वे पति के लिए सन्तान उत्पन्न करती थीं। पति के यज्ञों में तो वह सहायक होती ही थीं, आवश्यकता होने पर युद्धों में भी जाती थीं। ऋग्वेद के अनुसार विष्पला नामक एक स्त्री युद्ध में जाती है, तथा घायल होने पर अश्विनी कुमारों ने उसकी चिकित्सा की थी। ग्रामों में पर्दा प्रथा नहीं थी।

ग्रामीण आर्यों के परिवार में पितृ प्रधान सत्ता थी, एक पत्नी प्रथा थी, किन्तु बहुपत्नी प्रथा भी अज्ञात न थी। गृहकार्यों का पति ही सर्वेसर्वा था तथा पत्नी गृहस्वामिनी थी। पिता या पितामह कुटुम्ब का प्रधान होता था, वही गृहपति था, वही पालन-पोषण का भार वहन करता था। वही सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता था। ऋग्वेद के अनुसार प्रत्येक को चल सम्पत्ति का अधिकार था। पशु, अश्व, स्वर्ण, आभूषण, अस्त्र दास आदि व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में माने जाते थे। परिवार की भूमि पर भी व्यक्तिगत अधिकार होता था। पिता की सम्पत्ति का अधिकारी पुत्र ही होता था, पुत्री नहीं, किन्तु पिता की एक मात्र सन्तान होने पर वह सम्पत्ति की अधिकारिणी होती थी।

इस प्रकार गांव भारत देश का अभिन्न अंग है। वर्तमान समय में जबकि भारतीय जनता तेजी से गांव से शहर की ओर बढ़ रही है क्योंकि गांवों की अपेक्षा शहरी जीवन-स्तर काफी ऊंचा है, शहरों में भौतिक साधनों की अधिक उपलब्धि है लेकिन भारत जैसे देश में गांवों को भुलाया नहीं जा सकता। आज भी 70 प्रतिशत भारतीय जनता गांवों निवास करती है और भारत के इतिहास में तो ग्रामीण संस्कृति वैदिक काल से ही चली आ रही है।

3148, लाल दरवाजा
सीताराम बाजार, दिल्ली-110006

किसान कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम

★ हे० कांत कात्यायन

क्या हमारी सरकार किसानों को सही मानों में कृषक बनाने की ओर कोई ठोस कदम उठा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसान गांव में पड़ा-पड़ा गंवारू ही रह जाए और शहरी बहुत आगे निकल जाए। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में किसान भी एक जागरूक व आधुनिक किसान बने, इसके लिए कितने प्रयत्न किए जा रहे हैं इस बात पर ही विचार करें तो मालूम होगा कि केन्द्रीय सरकार ने इस ओर कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर गांवों के बहुमुखी विकास के लिए कई योजनाएं आरम्भ की है। हिमाचल प्रदेश में, जहां का किसान इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, केन्द्रीय शिक्षा निदेशालय के सहयोग से सर्वप्रथम सन् 1971-72 में किसान कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा इस कार्यक्रम को मण्डी जिले के तीन शिक्षा खण्डों में शुरू किया गया। अध्यापकों को इस प्रशिक्षण के लिए चुना गया और उन्होंने गांव-गांव के 630 किसान पुरुषों व 241 किसान महिलाओं को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण देकर उन्हें इस योग्य बनाया कि वे खेतीबाड़ी के आधुनिक प्रचलित तौर-तरीकों की सतही जानकारी रखे और गांव की बहुमुखी उन्नति के लिए भी सक्रिय भूमिका अदा करते रहें।

केन्द्रीय सरकार ने 'किसान कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम' की रूपरेखा इतने सुलझे व सुधरे ढंग से तैयार की है कि यदि इसे पूरी ईमानदारी से विकसित किया जाए और किसानों को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाए तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जब भारत का अनपढ़ कहलाने वाला खेतिहर किसान दूसरे राष्ट्रों के किसानों की बराबरी में खड़ा होकर स्वाभिमान से अपना मस्तिष्क उठा सकेगा, तब न केवल किसान उन्नत होगा, साथ ही भारत जैसा कृषि सम्पन्न राष्ट्र समृद्धियों की बुलंदियों की कई और मंजिलें तय कर बहुत आगे निकल जाएगा।

नई योजनाएं

इस नई योजना के अधीन शिक्षा विभाग के कुछ अध्यापकों को एक विशेष प्रकार का सात दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है, इसमें उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में पूरी योजनाबद्ध जानकारी दी जाती है। उन्हें कृषि करने के आधुनिक तरीकों और उन्नत खेती करने के सही ढंग की जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही वन, मुर्गी पालन, पशु पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, गांव की सफाई, स्वास्थ्य, लघु उद्योग, बागवानी आदि विषयों के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उत्तरदायित्वों के बारे में भी सही जानकारी प्रदान की जाती है।

इस प्रशिक्षण के दौरान उन शिक्षकों को यह भी सुझाया जाता है कि वे किस प्रकार इन कार्यक्रमों को गांव-गांव जाकर आरम्भ करें और किस प्रकार आपसी ग्रामीणों में तालमेल बढ़ाकर किसान भाई साक्षर बनें, अपने और अपने गांव का सर्वांगीण विकास करने में मदद दें और हर किसान परिवार आत्मनिर्भर हो सके। इस योजना में शिक्षकों का चुनाव भी कई बातों को सामने रख कर किया जाता है, मसलन, वे अध्यापक निश्चित ही किसान परिवार से हों, उसी गांव के विद्यालय में पढ़ाते हों जहां इस योजना को प्रारम्भ किया जाना है, उन्हें कृषि-उत्पादन सम्बन्धी आधुनिक जानकारी हो और वे गांव के विकास में स्वेच्छा से योगदान देने की प्रवृत्ति रखते हों। इस प्रशिक्षण का आरम्भ एक कैम्प के रूप में आरम्भ होता है। इसके दौरान उपरोक्त सभी विभागों के विशेषज्ञों व अनुभवी अधिकारियों को बुलाकर अपने-अपने विषय की विस्तृत जानकारी दी

जाती है। दूसरे, किसानों को पढ़ना, लिखना और गणना के साथ-साथ अच्छे नागरिक, उन्नत किसान, आत्मनिर्भर व कुशल जागरूक गृहस्थी बनाए जाने के बारे में भी पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी अध्यापकों को इस ओर क्रियात्मक दृष्टि रखने की सलाह दी जाती है और किसानों की सुविधानुसार व इच्छानुसार प्रशिक्षण को, खेती के कार्यों से निवृत्त होने के बाद आरम्भ किया जाता है ताकि किसान किसी प्रकार की विवशता प्रकट न कर सके।

इस योजना से किसान अधिकाधिक लाभ उठा सकें इस बारे में गांव के मुखिया, पंचायतों के सदस्यों व अन्य सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। इसमें न केवल व्यवसाय से सम्बन्धित तकनीकी तथा उन्नत विधियों की जानकारी प्रदान की जाती है, बल्कि उनकी भूमि का पूर्णतः निरीक्षण, आधुनिक अन्न भण्डार के तरीके, फसलों का हेर-फेर, भूमि कटाव आदि की भी समुचित जानकारी प्रदान की जाती है। किसानों को प्रशिक्षण देने के दौरान या उसके बाद भी उनकी सभी प्रकार की समस्याओं पर विचार किया जाता है, उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढे जाते हैं और इस प्रकार उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाली भावनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। बैंक सुविधा की जानकारी रेडियो और चर्चा मण्डलों के माध्यम से करवायी जाती है। हस्त-कला में हथकरघा, चटाई बनाना व ऊन और रेशा आदि की कताई-बुनाई को भी लोकप्रिय बनाया जाता है ताकि उनके फालतू समय का भी सदुपयोग हो सके।

इसके अतिरिक्त, उनके स्वास्थ्य और मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाता है। उन्हें डाकुमेन्ट्री फिल्में भी दिखाई जाती हैं और खेलने का सामान भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि इससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके।

इस योजना के अधीन प्रशिक्षण ले लेने के बाद उनकी परीक्षा ली जाती है और उत्तीर्ण हो जाने पर एक प्रमाणपत्र देकर उक्त किसान को प्रशिक्षित घोषित किया जाता है।

शुरूआत

सर्वप्रथम इस योजना को अल्प-कालीन शिक्षा के रूप में हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में आरम्भ किया गया था। पहली बार 1971-72 में सदर तहसील के दो शिक्षा-खण्डों के लगभग 871 किसानों को प्रशिक्षण के अन्तर्गत लाया गया और उनको प्रयोगात्मक-ढंग से साक्षर किया गया प्रथम बार ही। सफल रहने के बाद इसे अन्य तहसीलों के कई और शिक्षा-खण्डों में आरम्भ कर किसानों को शिक्षित बनाया गया। आज यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लगभग आठ शिक्षा खण्डों में चल रहा है और इसके अधीन लगभग 1200 किसान पुरुष और महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभ प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें इस योग्य बनाया जा चुका है कि वे अपनी समस्याओं को आधुनिक ढंग से सुलझा सकें और उन्नत खेती की सभी सम्भावनाओं पर दूसरे सहयोगियों से सम्पर्क स्थापित कर, अपनी कठिनाइयों को सरल बना सकें। मण्डी में इस कार्यक्रम की देख रेख सीधेतौर पर योजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, ग्राम सेवक और गांव-गांव में नियुक्त अध्यापक कर रहे हैं। एक पर्यवेक्षक श्री बसन्त लाल ने इस सम्बन्ध में बातचीत के मध्य इस कार्यक्रम की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि—यह कार्यक्रम ग्रामोत्थान और किसानों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने में बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन, इसके रास्ते में कठिनाइयां भी बहुत हैं। सभी किसानों के पास समय नहीं होता तो कभी उन्हें कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए हम उनकी इच्छानुसार ही कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, कभी-कभी स्थानीय कर्मचारियों का सहयोग भी प्राप्त नहीं होता है और हमें उनके कार्यक्रम के अनुसार ही अपना कार्यक्रम भी बनाना पड़ता है। उनके सांस्कृतिक महत्व के दिनों में भी अपने कार्य को रोक देना पड़ता है। मेरा अपना अनुभव है कि यदि यह कार्यक्रम पूर्णरूप से और सभी बातों का ध्यान रखते हुए आगे ले जाया जाए तो वह दिन दूर नहीं होगा जब प्रत्येक गांव का हर किसान समझदार बन जाएगा और अपनी खेती से अधिकाधिक उपज लेने लगेगा।

भविष्य की योजना के बारे में, 'किसान कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम' की मण्डी शाखा के जिला योजना अधि-कारी से पूछा तो उन्होंने कहा—फिलहाल हमारी योजना केवल किसानों को संपूर्ण रूप से साक्षर बनाने की है और यह काम पूरे विश्वास के साथ किया जा रहा है लेकिन भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि इन्हें पढ़ने और कृषि संबंधी जानकारी देते रहने के लिए कुछ किया जाता रहे मसलन, पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाए और समय-समय पर सही जान-कारी दी जाए।

यकीनन भारत गांव का देश है और पूरी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा गांव में ही रहता है। "किसान कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम" केन्द्र, से आरम्भ होकर गांव-गांव तक पहुंच रहा है और हजारों किसान न केवल लिखना, पढ़ना और गणना सीखने तक सीमित हैं, बल्कि उसे आर्थिक रूप से भी सबल बनाए जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। जे० एस० बनर ने एक बार कहा था—"यह बात महत्त्वपूर्ण नहीं है कि हमने क्या पढ़ा, बल्कि हमने जो पढ़ा है उससे हम क्या कर सकते हैं यह बात मुख्य है।" दूसरे शब्दों में पढ़ाई की सार्थकता तभी है जब वह हमें कुछ कर सकने योग्य बनाती है। महात्मा गांधी ने भी इसी उद्देश्य से बुनियादी शिक्षा की ओर अग्रसर होने का आह्वाहन दिया था। प्रौढ़ शिक्षा का आरम्भ भी इसी लक्ष्य को सामने रख कर किया गया था ताकि गांव का बहु-मुखी विकास हो सके।

"कात्यायन कुटीर"
मण्डी-175001

★

ग्रामीण उद्योग-धन्धों में खजूर की उपयोगिता

कन्हैयालाल गौड़

प्रकृति ने अपनी गोद में अनेक फलदार वृक्षों को जन्म दे रखा है। यदि उनमें खजूर की तुलना करें तो यह वृक्ष उपयोगिता की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व का है। क्योंकि आम, इमली, जामुन तथा करौंदे तो समय पर ही फलते-फूलते हैं, शेष अन्य दिनों में इनका कोई उपयोग आर्थिक दृष्टि से नहीं होता है। खजूर ही ऐसा वृक्ष है जो फल देने के अतिरिक्त बारहों महीने इसका उपयोग होता है। आर्थिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है क्योंकि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीणों की सहायता करता है। गांधी जी भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर गांवों को हमारे कार्यों का केन्द्र बनाना चाहते थे।

खजूर की डालियों से जिन्हें ग्रामीण खोड़े कहते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं जैसे : (1) चटाई (2) पंखे, (3) बुहारियां (4) आसन (5) डलिया व बड़े टोकरे।

(1) चटाई :—भारत एक कृषि-प्रधान देश होने के नाते यहां अधिकतर खेतिहर कृषक एवं मजदूर निवास करते हैं। अत: उसका उपयोग सर्वाधिक कृषक गण एवं श्रमिक तथा मध्यवर्ग का परिवार ही करता है। एक चटाई की मालवा में कीमत 2 रुपये से 3 रु० तक होती है और यही चटाई गुजरात में 6 रु० तक बिकती है। वर्षा के दिनों में इसकी खूब बिक्री होती है। कच्चे मकानों में जहां सील होती है, उपयोग में लाई जाती है। सील चटाई पर असर नहीं करती है अत: वर्षा के दिनों में इसकी खूब बिक्री होती है।

जो लोग छतरी व कीमती बरसाती नहीं खरीद सकते वे 3 रु० में एक बढ़िया चटाई खरीद कर वर्षा के दिनों में उसका खोइया बनाकर छाता व बरसाती के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। भंयकर से भंयकर बारिश भी हो तो भी यह पानी में गीला नहीं हो सकता। बदन पर रहने से मनुष्य को गर्मी भी देता है। बरसाती हवा से शरीर का बचाव भी करता है। एक खोइया यदि संभाल कर रखा जाए तो दो बारिश निकाल सकता है। इस तरह आर्थिक बचत भी करता है।

(2) पंखे :—जब गर्मी अधिक पड़ती है तो क्या शहर, क्या गांव सभी ठण्डी हवा, शीतल छाह खोजते हैं, जहां खुली हवा होती है, वहां पंखे की याद नहीं आती पर जहां बड़े-बड़े आलीशान मकान बने होते हैं तथा प्रकृत्ति के द्वारा प्रदत्त हवा का अभाव होता है वहां खजूर के जोड़ों से निर्मित पंखे का उपयोग किया जाता है। ये पंखे देखने में सुन्दर तथा वजन में हलके होते हैं। हाथ से पंखे झालने में हाथ दुखते नहीं हैं। एक पंखे की कीमत 50 पैसे तक होती है। इनका उपयोग सभी लोग करते हैं।

(3) बुहारियां :—शास्त्रों में खजूर का खोड़ा पवित्र माना गया है क्योंकि घर की सफाई करने का काम बुहारी अथवा झाड़ू से करते हैं। गृह लक्ष्मियां नित्य प्रात: उठकर सबसे पहले बुहारी को हाथ में लेकर सफाई करती हैं। अत: बुहारी को लक्ष्मी भी कहते हैं। जानकार व्यक्ति इसे ठोकर नहीं मारते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं (1) लम्बर (2) खड़ी। लम्बर बुहारी लगभग सवा हाथ लंबी होती है। यह बुहारी मियाले, पाट, दिवालों आदि झाड़ने के उपयोग में लाई जाती है। (2) खड़ी बुहारी खोड़ों के बारीक रेशम की भांति मुलायम करके बड़ी कलाकारी के साथ बनाई जाती हैं। इसमें लोहे के तार का भी उपयोग किया जाता है। इन दो प्रकार की बुहारियों की कीमत 15 पैसे से लगाकर 50 पैसे तक होती है।

(4) आसन :—खोड़े के बने आसन बड़े पवित्र माने जाते हैं। भोजन करते समय पटिये के अभाव में इनका ही सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। खोड़े के बने आसन की कीमत एक रु० तक होती हैं। ये रंगबिरंगे रंगों में रंगकर बनाये जाते हैं तथा बड़े खूबसूरत लगते हैं।

(5) डलिया या बड़े टोकरे :—डाली में से खोड़े तोड़ने के पश्चात् जो डाली पतली छड़ के समान शेष रहती हैं उन्हें रंगबिरंगे रंग रंगकर रोटी रखने की डलिया बनाई जाती हैं और ऊपर से ढक्कन इसी का बड़ा खूबसूरत लगता है। पीतल के से एक कटोरदान की बचत करती है। इसी डाली से जो मामूली होती है

उसके बड़े टोकरे बनाए जाते हैं जिन का उपयोग विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने हेतु किया जाता है जैसे :— अनाज भरना, पशुओं का मैला साफ कर उसमें भरना तथा देहातों मे पूड़ी, बाटी तथा पुए परोसने का काम इन्हीं टोकरों द्वारा किया जाता है।

इसकी एक बड़ी उपयोगिता यह है कि कुछ जातियों में जब दूल्हा-दुल्हन के यहां तोरन मारने जाता है तो खोड़ों के द्वारा निर्मित मुहर या सेहरा, सर पर बांधकर जाता है। इससे ज्यादा खजूर के खोड़ों की क्या उपयोगिता हो सकती है। खोड़े का मुहर प्रत्येक व्यक्ति नहीं बना सकता है।

जिस प्रकार पिंडखजूर को 'गुजरात' का मेवा कहते हैं उसी प्रकार इसे जंगल का मेवा कहते हैं। आम, इमली तथा जामफल के वृक्ष बिकते हैं उस तरह इस का वृक्ष नहीं बिकता तथा इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। यदि नियंत्रण है तो वह प्रकृति का, अतः ग्रामीण श्रमिक वर्ग की जब मजदूरी ठप्प हो जाती है विशेषकर गर्मी में तब इसके फल तोड़कर बाजार में बेचते हैं जो 3 रु० किलो बिकते हैं। खाने में बड़ा मीठा व मजेदार होता है।

खजूर का थापलिया जो सर्प के फन की भांति चौड़ा होता है कृषक वृन्द कूट कर बैलों के रस्सी-मोट वर्षा ऋतु में अवकाश के क्षणों में बैठकर बनाते हैं। कुछ लोग बेचने के लिए बनाते है। इसकी रस्सी बड़ी मजबूत होती है।

जिस तरह खजूर बड़ा स्वादिष्ट लगता है उसी तरह इसमें से कन्द निकाला जाता है जो बड़ा पोष्टिक व स्वादिष्ट होता है। यह बहुत कम खजूर में पाया जाता है।

खजूर का वृक्ष लगभग 30 फुट लम्बा होता है। इसके मध्य भाग में डालियां नहीं फुटती हैं, केवल शीर्ष में ही डालियां होती हैं तथा फल भी वहीं लगते हैं। इस पर चढ़ना भी खतरे से खाली नहीं होता है फिर भी कुछ धन्धेबाज व्यक्ति चढ़ जाते हैं। ज्यादातर बांस में दराती बांध कर ही फल तोड़ते हैं।

आम, जामफल नींबू तथा अन्य फल दार वृक्षों के बगीचों की तरह यदि खजूर के भी बगीचे लगाये जाएं और खोड़ों के द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहन व ग्रामीण उद्योग का दर्जा मिले तो ग्रामीण वर्ग जो इस धन्धे में लिप्त हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने की आशा की जा सकती है।

★

—55 अंकपात मार्ग. गली नं 2, उज्जैन (म० प्र०)

कुरुक्षेत्र के बारे में पाठक की राय ★ जीवन सिंह चौहान

मई का अंक भी आद्योपान्त पढ़ा। आवरण पृष्ठ को देखते ही ग्रामीण जीवन की झलक परिलक्षित होती है। 'सम्पादकीय' अति स्पष्ट एवं सारगर्भित है। अंक को पढ़ने से पता चलता है कि ग्रामीण विकास की ओर पत्र का पूर्ण रूपेण झुकाव है। इससे गावों में रहने वाली 80% जनता का कल्याण होगा।

सर्वोत्तम ग्राम सेवक और सेविकाओं के माध्यम से भारत के सर्वश्रेष्ठ कर्म-चारियों की सही जानकारी और उनके पुरस्कृत होने के समाचार से अन्यों को भी स्पर्धा करने की प्रेरणा मिलेगी। इससे यह स्वाभाविक है कि ग्रामीण उन्नति से ही सारे भारत की उन्नति हो सकेगी और जीवन यापन की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों का स्तर ऊंचा उठ सकेगा। यह भारत की महान उपलब्धि होगी।

पत्रिका में आंकड़े और ग्रामीण समस्याओं के विषयों की जानकारी दी गई है तथा उनके समाधानों पर जो प्रकाश डाला गया है वह ग्रामीणों के लिए बड़ा उपादेय है। श्वेत क्रांति तथा मल-मूत्र से खाद इसके उदाहरण हैं। इससे वास्तव में कृषक समाज तथा भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों को अवश्य लाभ होगा।

यह पत्रिका जहां ग्रामीणों से सम्बन्धित है वहां एक स्तम्भ 'पहला सुख निरोगी काया' के अन्तर्गत ऐसा विषय दिया जाता है जो गांवों के लिए ही नहीं, सम्पूर्ण समाज के लिए उपयोगी हैं।

मेरा सुझाव यह है कि पत्रिका में एक स्तम्भ और बढ़ाया जाए जिसके अन्तर्गत ग्रामीण उद्योग धन्धों के विषय में पूरी जान-कारी दी जाए। कच्चा माल, छोटी मशीनें तथा तैयार माल के लिए मार्कीट आदि के बारे में बताएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए देहाती बैंकों के योग दान के साथ-साथ ये भी प्रकाशित करते रहें कि छोटे किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को अपने लघु उद्योग धंधों के लिए ऋण कहां से प्राप्त हो सकता है।

दूसरा सुझाव है कि 'कुरुक्षेत्र' प्रत्येक ग्राम सभा में हर माह नियमित रूप से पहुंचे जिससे इसमें दी गई सामग्री का लाभ ग्रामवासी उठा सकें। इसका प्रचार रेडियो, टेलीविजन और अन्य हिन्दी पत्रों के माध्यम से कराया जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इसे पढ़कर सरकार की ग्रामीण उद्योगी-करण की नीतियों को व्यावहारिक तौर पर समझें और लाभान्वित हों।

**—5352 लड्डू घाट
पहाड़ गंज
नई दिल्ली-110055**

मिट्टी महान है ★ बनवारी लाल ऊमर वैश्य

(मिट्टी और सोना दोनों अपनी श्रेष्ठता पर अड़े हुए हैं। हीरा सोने का पक्ष ले रहा है। चांदी मिट्टी की उपेक्षा करती है।)

मिट्टी: (शांत स्वभाव से) जी हां। मैं मिट्टी हूं। सारी दुनिया मिट्टी की है। अन्त में सभी को मिट्टी में मिल जाना है। सोना भी मिट्टी में पैदा होता है, चांदी भी और हीरा भी।

सोना: (अकड़कर) जबान संभाल कर बोल। मैं सोना हूं। तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मैं राजाओं के ताज पर चढ़ता हूं। मैं लक्ष्मी का बेटा हूं। मैं दौलत हूं।

हीरा: अरी मिट्टी। जरा अपनी काली शक्ल तो देख। तू सोने की बराबरी कर सकती है। सोना-सोना है। मिट्टी-मिट्टी है। हीरा-हीरा है।

चांदी: (चमककर) मिट्टी बहिन। अकड़ में मत आओ। तुम पैरों से रौंदी जाती हो। कूड़े का ढ़ेर तेरे पेट में ठूंसा जाता है। गोबर के लड्डू तेरे मुंह में डाले जाते हैं। तू कितनी गंदी है। लोग तुझे अपने जूतों से साफ करते हैं। तू हीरे की बराबरी नहीं कर सकती।

मिट्टी: आप ठीक कह रही हैं। मैं कूड़ा, गोबर खाकर मीठा अन्न और फल देती हूं। कोई सोना खाकर जिन्दा नहीं रह सकता है। कोई हीरा खाकर जिन्दा नहीं रह सकता और कोई हीरा पहन कर भी नहीं और न कोई चाँदी का वर्क खाकर।

सोना: अबे मिट्टी ! बकवास मत कर। सोने के गहने के लिए रानियां रोती है। सोने की कीमत बहुत होती है। उसे मिट्टी क्या जाने ?

हीरा: मैं राजाओं के मुकटों पर शोभा पाता हूं। तू मेरी बराबरी नहीं कर सकती।

चांदी: मैं सोने की बहन और हीरे की दुल्हन चांदी हूं। सेठों के रुपयों में ही दिन रात चमकती हूं। चांदी के जूते खाकर दुनिया मेरे लिए ही गाती है। अरी मिट्टी तू मेरी बराबरी नहीं कर सकती।

(एक किसान और एक राजा सोने, चांदी और हीरे की सारी बातें सुन रहे थे। वे दोनों पास जाकर समझाते हैं। सोना, हीरा और चांदी किसान और राजा की बातें सुनते हैं।)

किसान: (मूछों पर ताव देकर) मिट्टी महान है। सोने, चांदी और हीरे आदि सभी मिट्टी के गुलाम हैं। यदि देश की मिट्टी बची रहेगी तो सोने, चांदी और हीरे आते जाते रहेंगे। मिट्टी अनाज पैदा करती है। मिट्टी ही सारी दुनिया का पेट भरती है। मिट्टी की बराबरी सोना, चांदी और हीरे नहीं कर सकते।

राजा: (शांत भाव से) जी हां यदि सोने, चांदी हीरे की शोभा ताजों पर है तो देश की शोभा उसकी मिट्टी में है। देश की मिट्टी में सारी सम्पदा संजोयी हुई है। मिट्टी को बचाइए। उसे उपचाऊ बनाइए। मिट्टी से शरीर बनता है। मिट्टी से खेत बनता है। मिट्टी से स्वर्ग बना है। मिट्टी ही महान है।

(सोना, चांदी और हीरे मिट्टी को प्रणाम कर क्षमा मांगते हैं और समवेत स्वर में गाते हैं 'मिट्टी महान है')

—

माटी में सोनवाँ ★ बनवारी लाल ऊमर वैश्य

उगै रे मोर सुगना, माटी में सोनवां।
उगै री, मोर सुगना, माटी में सोनवां।

× × × ×

धरती कै पूतवां, खौदैं कियरियां।
धूप औ छहियां में, चूवै पसीनवां॥ हां माटी में०।
उगै, रे मोर सुगना, धरती में सोनवां।
उगै रे मोर सुगना, धरती में सोनवां।

× × × ×

हल और कुदाली, चलें दिन रतियां।
गऊवां की गोरियां, गावें सवनवां॥ हां माटी में०।
उगै रे मोर सुगना, धरती में सोनवां।
उगै रे मोर सुगना, धरती में सोनवां।

× × × ×

चांद-सुरुज दोऊ, लरिका अंगनवां।
मिल-जुली हंसी-खुशी, झूलनवां॥ हां माटी में०।
उगै रे मोर सुगना, माटी में सोनवां।
उगै रे मोर सुगना, माटी में सोनवां।

—डंकीनगंज,
मिरजापुर

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान : ग्रामीण बैंक ★ ओम प्रकाश शर्मा

भारत एक कृषि प्रधान देश है। राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश सर्वाधिक 41·2 % है। इसके विकास की प्रत्येक योजना कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर निर्भर है। लेकिन दुर्भाग्य-वश भारतीय कृषि के सामने हमेशा ही वित्त की जटिल समस्या बनी रही है। इसलिए भारतीय कृषक के बारे में यह कहावत प्रचलित रही है कि—भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है और ऋण में पलता है और ऋण में ही मरता है। सन् 1971-72 के अ० भा० ऋण और निवेश सर्वे के अनुसार छः साल पूर्व की गई पड़ताल के समय कुल ग्रामीण ऋण 38·25 करोड़ रुपए के बराबर था जो संभवतः इस समय बढ़कर 50-60 अरब रुपए तक पहुंच गया होगा। भारतीय कृषक की इस जटिल समस्या का मुख्य कारण साहूकारों और जमींदारों द्वारा ऋण प्रदान करके उसका शोषण करना रहा है। सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात् से ही कृषकों को साहूकारों और जमींदारों के चुंगल से मुक्त करने तथा उनको वित्त उपलब्ध कराने की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। प्रारंभ में इस संदर्भ में सहकारी साख समितियों के गठन पर जोर दिया गया लेकिन इन समितियों पर भी गांव के बड़े किसानों और साहूकारों का प्रभुत्व बना रहा तथा वे छोटे कृषक के लिए सहारा न बन सके। 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना के बाद यह सोचा गया था कि यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखायें स्थापित करके कृषि वित्त की समस्या में अपना योगदान दे सकेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्टेट बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पर्याप्त शाखाएं स्थापित कीं, लेकिन उनके कार्य करने की पद्धति भारतीय ग्राम्य अर्थव्यवस्था के अनुकूल सिद्ध नहीं हुई। इस अवधि में भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना पर भी जोर दिया गया, लेकिन उनका क्षेत्र भी भू-स्वामी किसानों को सहायता पहुंचाने तक सीमित रहा।

1969 में व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीकरण के पश्चात् यह आशा की गई थी कि व्यापारिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं स्थापित करेंगी और कृषकों को अधिकाधिक वित्तीय सहायता पहुंचाएंगी। यद्यपि इन बैंको ने ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित करने तथा ऋण प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन यह अनुभव किया गया है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाए। आर्थिक कार्यक्रम के संदर्भ में ग्रामीण वित्त की समस्या की ओर विशेष ध्यान दिया गया जहां तक ग्रामीण वर्ग को ऋणों से मुक्ति दिलाई गई है, वहां दूसरी और ग्रामीण वित्त की सुविधाओं को विस्तृत करने पर जोर दिया गया है। इस दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की योजना उल्लेखनीय हैं।

भूमिका

9 फरवरी, 1972 को प्रस्तुत बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि सहकारी और व्यापारिक पद्धतियों की अच्छी बातों को लेकर ग्रामीण बैंकिंग संरचना की स्थापना की जाए। जहां प्राथमिक साख समितियां सुदृढ़ स्थिति में हैं वहां उन्हें ग्रामीण बैंकों के रूप में कार्य करना चाहिए। जहां सहकारी साख समितियां अच्छी स्थिति में नहीं हैं, वहां वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए। अन्त में 26 सितम्बर, 1975 को राष्ट्रपति द्वारा एक आध्यादेश जारी किया गया, जिसके अन्तर्गत 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई।

2 अक्तूबर, 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, ये बैंक भिवानी, (हरियाणा) मुरादाबाद और गोरखपुर (उ० प्र०) जयपुर (राजस्थान) और मालदा (पं० बंगाल) में स्थापित की गई। उन्होंने 91 शाखाएं खोली हैं उनमें 1·70 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की है, तथा उन्होंने 2·76 करोड़ रुपए से कुछ अधिक ऋण दिया है।

सन् 1975 के अन्त में कृषकों की साख आवश्यकता 16,549 करोड़ रुपए के लगभग थी।

विशेषताएं :—

ग्रामीण बैंकों के संगठन की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

1. इनका कार्य क्षेत्र तुलनात्मक रूप से छोटा है।
2. जहां तक सम्भव हो, इनके कर्मचारी स्थानीय होने चाहिएं, जो स्थानीय परिस्थितियों और भाषा से परिचित हों।
3. इनका कार्य संचालन एवं संगठन कम लागत के आधार पर हो जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में यह अपनी सुविधाएं आसनी से प्रदान कर सकें।

इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य किसानों एवं ग्रामीण वर्ग की सेवा करना है। ये बैंक केवल ग्रामीण कारीगरों और छोटे किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को ही ऋण उपलब्ध करेंगे।

ग्रामीण बैंकों की प्रगति :—भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्राम बैंकों की संख्या 50 से बढ़ाकर 60 करने का फैसला किया है। चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक 50 बैंक खोले जाने थे, जिनमें से 40 सारे देश में खोले जा चुके हैं। अगले दो महीनों में बाकी दस भी स्थापित कर दिए जाएंगे।

केन्द्र के पास उपलब्ध आंकड़ों के

अनुसार 33 क्षेत्रीय ग्राम बैंकों ने नवम्बर, 1976 तक 465 करोड़ रुपए की जमा राशि एकत्र की थी। उन्होंने 6·11 करोड़ रुपए के ऋण जारी किए, जिसका लाभ 77400 लोगों ने उठाया। इसमें से छोटे तथा सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों को 3·70 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध किया गया, इससे 54,062 लोगों को ऋण मिला। इन 33 क्षेत्रीय ग्राम बैंकों ने नवम्बर, 1976 तक 372 शाखाएं स्थापित की थीं।

नव स्थापित होने वाले प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 25 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी लगाएगा जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार तथा बैंक के शेयर 50 : 15 : 35 के अनुपात में होंगे। इसमें अन्य उद्योग व व्यक्तियों का कोई सहभाग नहीं होगा।

ग्रामीण बैंकों को ग्राम्य एवं कृषि वित्त में उल्लेखनीय भूमिका निभानी है, अतः इनको सफल बनाने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करने होंगे। इस संदर्भ में निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं :—

1. ऋण एक निश्चित और केन्द्रित क्षेत्र में दिए जाएं, जिससे ऋण उपलब्ध करने और वसूल करने में आसानी रहे।
2. ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही दिए जाएं अर्थात् ऋण के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हो और उत्पादन में हुई वृद्धि ऋणों की वापिसी के लिए पर्याप्त हो।
3. ऋण केवल ऐसी योजनाओं के लिए स्वीकृत किए जाएं जो तकनीकी दृष्टि से सम्भव व आर्थिक दृष्टि से उचित हों। स्वीकृत ऋणों के प्रयोग के बारे में पर्याप्त ध्यान दिया जाए।
4. प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उस क्षेत्र की लीड़ बैंक के मध्य पर्याप्त सहयोग व समन्वय स्थापित किया जाए।
5. ग्रामीण बैंकों की शाखाएं ऐसे केन्द्रों में स्थापित की जाएं जहां व्यावसायिक क्षमता हो तथा जहां छोटे तथा सीमांत कृषकों और ग्रामीण कलाकारों की अधिकता हो।
6. ग्रामीण बैंकों का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन वर्ग को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करना है। अतः यह अच्छा रहेगा कि ये बैंक इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लघु व्यवसाय तथा सीमांत कृषक अभिकरणों आदि संस्थाओं से सम्पर्क बनाए रखें।
7. ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण कलाकारों और छोटे उद्यमियों को सहकारी समितियां संगठित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उन्हें आवश्यक सहायता देनी चाहिए जिससे ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें।
8. कृषि साख उपलब्ध करने की लागत को कम करने के लिए छोटे-छोटे ऋणों को प्रत्यक्ष रूप से न देकर स्वीकृत मध्यस्थों के माध्यम से देने पर विचार किया जा सकता हैं।

स्पष्टतः ग्रामीण बैंकों के सामने ग्रामीण वित्त की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, अतः हमें आशा करनी चाहिए कि ये बैंक अपनी पूर्ण कुशलता व क्षमता से कार्य करके ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए एक महत्वपूर्णवरदान सिद्ध होंगी। ★

—शोध छात्र
धर्म समाज कालेज,
आगरा (विश्वविद्यालय)
अलीगढ़ (उ० प्र०)

हाथों की पूंजी

हाथ पांव से
हल चलते हैं
हाथ पांव से खेती बाड़ी
हाथ पांव से फसल काटते
हाथ पांव का फल हैं दाने
हाथ पांव से खाना-पीना
सरल बात है
बात-बात में वही बात है
भूमि उसकी जो बोए सो काटे

राम प्रकाश राही
—बी-58, पंडारा रोड
नई दिल्ली-110003

वृद्धों की ओर भी तो ध्यान दीजिए ★ शशि बाला

गत वर्ष महिला वर्ष मनाया गया। बाल वर्ष मनाने का भी निर्णय हो चुका है। किन्तु वृद्धों की ओर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। क्या किसी ने विचारा कि एक वर्ष वृद्ध वर्ष के रूप में भी मनाया जाना चाहिए ?

उनके बारे में यह धारणा प्रचलित है कि वे चिड़चिड़े, अक्खड़ दिमाग के, रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन ऐसे क्यों ? क्या ऐसा कहने से पूर्व यह विचारा गया है कि इन सबका कारण क्या है ? क्या उनके साथ उचित व्यवहार किया जाता है ? क्या दो घड़ी बैठकर उनकी कठिनाइयों को, उनकी बातों को सुना जाता है ? उनके बेटे श्रवण कुमार की भांति अपने अंधे मां-बाप की सेवा करते हैं ? उनकी बहुएं सती सावित्री की तरह वरदान मांगते हुए अपने अंधे सास-ससुर का ख्याल रखती हैं ? वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम व सीता के समान मां-बाप के प्रति, सास सुसर के प्रति अपने कर्त्तव्य को निभाते हैं ? इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है—नहीं। आज की युवा-पीढ़ी अपनी भारतीय संस्कृति को भूल, पश्चिम के रंग में डूबे अपने वृद्धों को आदर सूचक शब्दों से संबोधन तक नहीं करती। अतः इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए वृद्धों के वृद्धत्व पर मौलिक चिंतन करने की आवश्यकता है। तभी हम उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं :—

1. हमें ऐसे क्लब अथवा संघ आदि स्थापित करने चाहिएं, जहां वृद्ध अपने मनोरंजन हेतु जा सकें। वहां वे अपने फालतू समय को धर्म-प्रवचन आदि में सानंद व्यतीत कर सकें। उनमें उनके लिए उच्च कोटि के पुस्तकालय हों।

2. आमतौर पर देखा गया है कि पैसे के अभाव में ही उनका जीवन बोझिल बनता है। अतः इस प्रकार के उद्योग-धंधे चालू करने चाहिए जिनमें वे अपनी-अपनी सामर्थ्यानुसार मानसिक अथवा शारीरिक कार्य कर सकें। इससे उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होगी जोकि उनके जीवन में एक सुखद आनन्द लाएगी।

3. डी० टी० सी० की धक्के-मुक्के वाली बसों में 'केवल महिलाएं' वाली सीटें क्यों ? क्या वे वृद्धों से भी ज्यादा दुर्बल हैं ? यदि नहीं तो उन समस्त सीटों को 'केवल वृद्ध' में बदला जाए। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख स्थानों से उनके लिए स्पेशल बसें भी चलनी चाहिएं। कण्डक्टरों को यह निर्देश होना चाहिए कि वे वृद्धों का ध्यान रखें।

4. प्रत्येक अस्पताल में वृद्धों के लिए अलग विभाग खोले जाने चाहिए। जहां उनका इलाज उनकी देख-रेख सुचारू रूप से हो।

5. प्रत्येक सरकारी अथवा गैरसरकारी कार्यालयों में उनकी पेंशन, आयकर आदि से सम्बंधित समस्याओं को शीघ्र सुलझाया जाना चाहिए।

6. यह देखा गया है कि उनके मन की बातों को, उनकी कठिनाइयों को, उनकी आकांक्षाओं को उनके बेटे-बहू कान धर कर नहीं सुनते। वे सुनी-अनसुनी कर जाते हैं। इससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रोधित सा हो जाता है। वे सारे दिन एक प्रकार की खीझ से भरे रहते हैं। अतः इस प्रकार के 'सलाह-केंद्र' बनाए जाने चाहिए, जहां के सदस्य उनकी समस्याओं को सुन, उन पर विचार-विमर्श कर उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा सकें।

7. जिन मां-बाप ने हम पर अपनी सारी जिन्दगी कुर्बान की, अपने सुख को त्यागकर हमें पाला-पोसा, उन्हीं वृद्ध मां-बाप की अपने बच्चों द्वारा खांसने, खाने, चलने आदि की नकलें उतारने पर हम हंसें ! यह सरासर उनके प्रति घोर अन्याय है। अतः हमें चाहिए कि हम स्कूलों में नैतिक शिक्षा के अन्तर्गत बच्चों का वृद्धों के प्रति क्या कर्त्तव्य है— इसका अधिक से अधिक ज्ञान कराएं।

इस प्रकार के कुछ प्रयत्नों द्वारा हम ताड़नाओं-प्रताड़नाओं झिड़कनों आदि के कारण उनके विष भरे जीवन को, उनके नीरस जीवन को, बोझिल जीवन को अमृतमय, सरस, सरल बना सकते हैं। हमें मनु महाराज की यह उक्ति सदैव याद रखनी चाहिए—

"अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्" ॥

जो सदा नम्र सुशील, विद्वान् और **वृद्धों की सेवा** करता है, उसकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं। ★

योगः कर्मसु कौशलम्

कर्म में ही कुशलता ही योग है।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास

एवं

फल एवं सब्जी संरक्षण

हेतु

उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय, उत्तर प्रदेश

उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बीज, पौध, ऋण एवं तकनीकी

सलाह प्रदान करता है।

प्रगतिपथ पर बढ़ता सिरमौर

निजि प्रतिनिधि द्वारा

सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश के दक्षिण अंचल में समुद्र की सतह से 400 से 3800 मीटर की ऊंचाई पर बसा प्रकृति की सम्पदा से भरपूर नैसर्गिक दृश्यावलियों का स्वामी पर फिर भी दीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ इलाका है।

यहां के किसानों की गरीबी और पिछड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए सन् 1971-72 में छोटे किसानों के सुधार के लिए एक संगठन (एजेन्सी) की नींव पड़ी जिसे अंग्रेजी में एस० एफ० डी० ए० के नाम से पुकारा जाता है। सभी जानते हैं कि हमारे देश के पहाड़ी इलाकों में जहां कि प्राकृतिक सम्पदा और साधनों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ, वहां आदमी गरीबी और अभाव की चक्की में पिस रहा है, विशेष रूप से वहां का छोटा किसान तो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता है। वह रोटी क्या खाता है, रोटी उसे खा डालती है। इस समय इस इलाके में लगभग बावन हजार छोटे और बहुत छोटे किसान हैं। उक्त संगठन का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन किसानों को यथा-संभव खेती के सुधरे तौर तरीके समझाए जाएं, इन्हें आवश्यक सुविधाएं जुटायी जाएं, और सरकार की मदद से इनकी दशा सुधारी जाएं। जाहिर है कि इस प्रदेश का काफी भाग पहाड़ी होने के कारण, आम मैदानी इलाकों की भांति इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर पाया क्योंकि यहां की अपनी विचित्र समस्याएं हैं। यातायात, पहाड़ी खेत, परम्परागत पिछड़े तरीके, व्यावसायिक फसलों के लिए आवश्यक ऋण सुविधाओं का अभाव, सिंचाई का अभाव, आदि अनेक जटिल समस्याएं वहां के भीषण मेहनत-कश इन्सान के प्रयत्नों को लंगड़ा बना देती हैं।

सेफडा द्वारा स्थापित आर०सी०सी० पाइपों का कारखाना

पहाड़ों में जहां खेती की और समस्याएं हैं, जैसे भूक्षरण, पिछड़े तौर तरीके आदि, वहां सबसे विकराल समस्या सिंचाई की है। इसलिए उक्त एजेन्सी ने वहां सबसे पहले सिंचाई के साधनों पर ध्यान दिया है। इस समय वहां तीन तरह की प्रणालियां अपनायी जा रही हैं। एक तो कूलों द्वारा सिंचाई, दूसरे बड़े तालाबों के निर्माण हो रहे हैं और वहां से पाइपों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है और तीसरे जहां निरन्तर पानी बहता हो वहां से या कुएं खोदकर पानी लेने की व्यवस्था की जा रही है। इस इलाके में कुछ हिस्सा तो मैदानी है और कुछ पहाड़ी है। मैदानी हिस्से को दून कहते हैं। इस घाटी में एजेन्सी ने पौंटा साहब में स्टेट बैंक आफ इंडिया की एक कृषि विकास शाखा खोली है। यह शाखा छोटे और बहुत छोटे किसानों को ऋण देती है ताकि वे लोग पैसा लगाकर सिंचाई की व्यवस्था कर सकें। पर सामुदायिक स्तर पर जो काम किया जा रहा है उससे भी किसानों को फायदा पहुंचा है। सिरमौर में एक जिला कृषि विकास प्रायोजना चालू की गयी है जो कि विभिन्न सिंचाई के तरीकों में तालमेल बैठाती है। खुशी की बात है कि ऋण की सुविधाओं के कारण इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। इन प्रायोजनाओं में उल्लेखनीय हैं भगनी और मेहरूवाला, जिनसे लगभग 293 हैक्टर जमीन पर सिंचाई की जाती है और 301 किसानों को फायदा पहुंचा है। इस प्रकार की एक और सफल योजना है मारकेंडा नदी के किनारे बांकला योजना। इसकी विशेषता यह है कि इस योजना से हरिजनों को लाभ पहुंचा है। लगभग 27 परिवारों की करीब 28 हैक्टर भूमि पर सिंचाई की जा रही है।

यहां इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि अब तक भी हमारे

सिरमौर में सेफडा द्वारा स्थापित आरा मिल

पिछड़े किसानों में व्यावसायिक खेती के बारे में कोई चेतना नहीं आई। वह तो बेचारा वही पुरानी फसलें उगाना चाहता है जो उसके दादा परदादा उगाते चले आए। अगर उस लीक से हटकर वह व्यावसायिक यानी व्यापारी फसलें उगाना शुरू कर दे तो छोटा किसान भी मालो-माल हो सकता है। दूसरी बात यह भी है कि उसकी खेती उस व्यापारी फसल के लिए ज्यादा अनुकूल है। पर उसे समझाने वाला भी कोई हो। अगर समझाने वाला भी है तो कोई शुरूआत भी कराए और पैसा भी दे। यहां की खेती में अदरक, बीजू आलू, मौसमी सब्जियां खूब उगायी जा सकती है। इनसे भरपूर लाभ हो सकता है। अगर इस इलाके में केवल सिंचाई और खाद की उपयुक्त व्यवस्था हो जाय तो कुछ ही समय में यहां का छोटा किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई निस्सदेह सिंचाई की है और इसके लिए सरकारी एजेन्सी को और अधिक प्रयत्न करने चाहिए। भले ही आरम्भ में इस काम में सरकार को बहुत पैसा सहायता के रूप में देना पड़े पर अन्त में इससे किसान सम्पन्न हो सकेगा।

मतकाटो जंगल मत काटो

पहाड़ी इलाकों में एक भारी हमस्या मिट्टी के कटाव की है। पहाड़ी खेत प्रायः बरसात में पानी के बहाव से कटते रहते हैं। इससे खेती को बहुत हानि पहुंचती है। इसके लिए सरकार ने जो आन्दोलन चलाए हैं वे सराहनीय हैं। इस सम्बन्ध में हमें ख्याल आता है कि

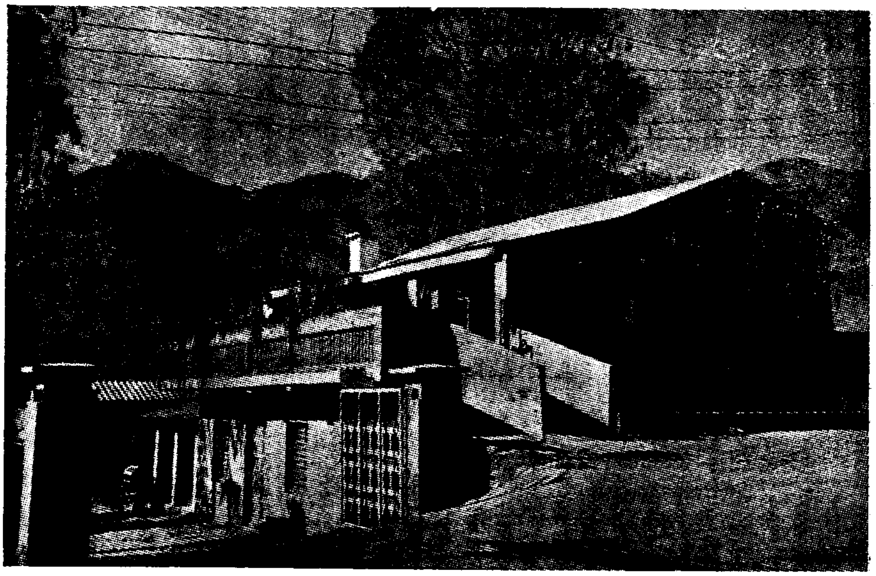

सिरमौर में सेफडा द्वारा निर्मित गोदाम

टिहरी गढ़वाल में पं० सुन्दरलाल बहुगुणा ने 'मतकाटो जंगल मत काटो' का नारा लगाकर जो 'चिपको आन्दोलन' चलाया या उससे उस प्रदेश में एक क्रांति आई है। अतः हमें चाहिए कि उन इलाकों में जहां भूरक्षण की संभावना हो ऐसे पेड़ लगाए जायें जो जल्दी-जल्दी उगते हों। ऐसी घासें जिससे मिट्टी का कटाव रुक सके। बड़े-बड़े बांध बनाए जाएं और पानी को इक्ठ्ठा करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर तालाब बनाए जायें। नदियों के किनारों को मजबूत बनाया जाए। सरकार इस समस्या के प्रति पूरी तरह जागरूक तो है तो भी बिना लोगों के सामुदायिक संगठन के यह काम होना आसान नहीं है। यदि मिट्टी के कटाव को रोका जाए तो हजारों हैक्टर भूमि का सुधार हो सकेगा और वहां फसलें भी उगाई जा सकेगी जिससे उपज भी बढ़ेगी। जंगलों की अंधाधुंध कटाई तत्काल बंद हो।

खेती सुधरी उपज निखरी

भारत में पिछले दिनों हरित क्रांति ने जो चमत्कार कर दिखाया है उसके पीछे, सच पूछा जाय तो, केवल तीन इकाइयां हैं यानी मेहनतकश किसान के दो मजबूत हाथ और वैज्ञानिक का दिमाग। चमत्कारी बीज, खाद, नये तौर-तरीके, रासायनिक दवाएं ये सब विज्ञान की देन हैं। इन नये बीजों से फसल तो जल्दी तैयार होती ही हैं साथ ही उपज भी बहुत मिलती है। और इन्हीं कारणों से यह संभव हुआ है कि न

केवल अधिक उपज ली जा रही है बल्कि बहु फसली खेती भी लोकप्रिय होती जा रही है।

इस बात का संतोष है कि सिरमौर की उक्त एजेंसी ने किसानों में नए तौर तरीकों का प्रचार किया है हांलाकि अधिकतर बड़े किसान ही इनका अधिक फायदा उठा सके। यदि मामूली किसान यह समझ पाएं कि इन नए बीजों, रासायनिक खाद, सिचाई व खेती के सुधरे तौर तरीके अपनाकर हमारी आमदनी दुगनी हो सकती है तो उन्हें ये तरीके अपनाने में तनिक भी हिचक नहीं होगी। इतना जरूर है कि उक्त ऐजेंसी किसानों को साधन जुटाने में पूरी मदद दे।

कहने को तो अदरक की खेती से भरपूर मुनाफा होता है, पर यह ध्यान रखने की बात है कि इसमें शुरू-शुरू में अगर सावधानी न बरती जाए तो नुकसान का भी खतरा रहता है। इसका बीज भी महंगा होता है। पहले साल तो अनुभव हीनता के कारण कई किसानों को घाटा भी उठाना पड़ा है लेकिन बाद के सालों में अनुभव हो जाने पर इन लोगों ने बहुत फायदा भी उठाया है। यहां की जलवायु अदरक की खेती के लिए बहुत अच्छी है। इसके लिए एजेंसी को चाहिए कि अदरक की खेती को केवल बड़े किसानों के लिए मुनाफे का धंधा न बनने दे बल्कि छोटे किसानों को भी प्रेरणा दें, उनका मार्गदर्शन करे, आवश्यक ऋण की व्यवस्था करे। इस फसल की उन्नति की यहां बहुत गुंजाइश है।

इस संबंध में 1961-62 में स्थापित की गई अदरक विकास योजना ने काफी कुछ काम किया है। इसके अन्तर्गत न केवल खेती की उन्नति की ओर ध्यान दिया गया है बल्कि अदरक बेचने के लिए हाट-व्यवस्था की ओर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया गया है।

आलू भी यहां खूब पैदा होता है। यद्यपि इस समय इसकी फसल बारानी स्थितियों में की जाती हैं पर इस बात के यत्न जारी हैं कि सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाकर इसे सिंचित फसल के रूप में खूब उगाया जाए। इसके लिए एक आलू

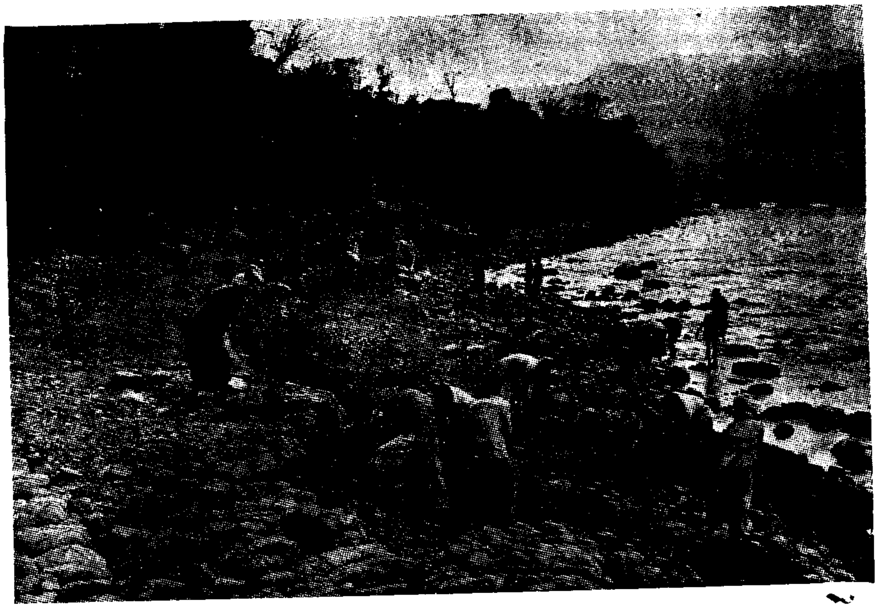

गिर नदी के किनारे भूमि कटाव रोकने का काम करते हुए मजदूर

सुधार योजना चालू की गई है जो आलू की खेती के सुधरे तौर तरीकों और संभावनाओं पर विचार कर रही है।

यहां की जयवायु सेब व नाशपाती आदि फलों के लिए उपयुक्त है। पहले तीन साल तो इन फसलों से कोई मुनाफा नहीं मिलता पर बाद में बहुत लाभ होता है। अतः इस दिशा में एजेंसी जो कुछ प्रयास कर रही है, वे प्रशंसनीय हैं।

पशु पालन के क्षेत्र में यहां की संकर नस्लों जर्सी और होलस्टीन ने दूध के उत्पादन में जो अदभुत प्रगति की है वह वस्तुतः अभिनन्दनीय है। भेड़ पालन में काफी अच्छा काम हुआ है।

यहां के कई भूमिहीन खेतिहर, मजदूरों को उक्त एजेंसी ने रोजगार दिलाया और इसमें इनको तथा छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों को लाभ हुआ है। यहां कोई बड़े उद्योग नहीं हैं जिसमे बेरोजगारी की समस्या काफी जटिल है। लोगों को खाली मौसम में काम ही नहीं मिलता। खैर, इन बातों को ध्यान में रखकर एजेंसी ने कुछ अच्छे काम शुरू किए हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। कृषि के लिए आवश्यक चीजों जैसे खाद, रासायनिक दवाओं, बीजों आदि के लिए जगह-जगह गोदाम बनाए जा रहे हैं और दूसरे मिट्टी का कटाव रोकने के लिए निर्माण कार्य।

उक्त एजेंसी ने गांव के कुछ कारीगरों को आवश्यक प्रशिक्षण देने शुरू किए और आर्थिक सहायता की ताकि या तो वे अपने धंधों की दूकान खोल लें या फुटकर काम करें।

जिन नए भूमिहीन किसानों को 0·4 हैक्टर भूमि दी गई थी उन्हें अपनी खेती-बाड़ी के सुधार के लिए, सुधरे बीज व खाद आदि के लिए आर्थिक सहायता एजेंसी द्वारा दी गई। इसके अतिरिक्त इनके लिए सुधरी नस्ल के मवेशियों की यूनिटें भी खोली गयी।

इस प्रकार उक्त एजेंसी का प्रयत्न यह है कि सिरमौर के किसानों की सर्वांगीण प्रगति हो। खेती के सुधरे तौर-तरीकों, सिंचाई, सुधरे बीज, खाद, से वे अपनी उपज बढ़ा सकें, व्यापारी फसलें उगाकर समृद्ध बन सकें। सुधरी नस्ल के मवेशियों से ज्यादा दूध ले सकें, मिट्टी के कटाव से अपने खेत बचा सकें, सरकार से ऋण ले सकें, रोजगार के ज्यादा साधन जुटा सकें और नए हिमाचल में उगता सिरमौर देश का भी सिरमौर बने। ★

—अनुवादक
ब्रज लाल उनियाल

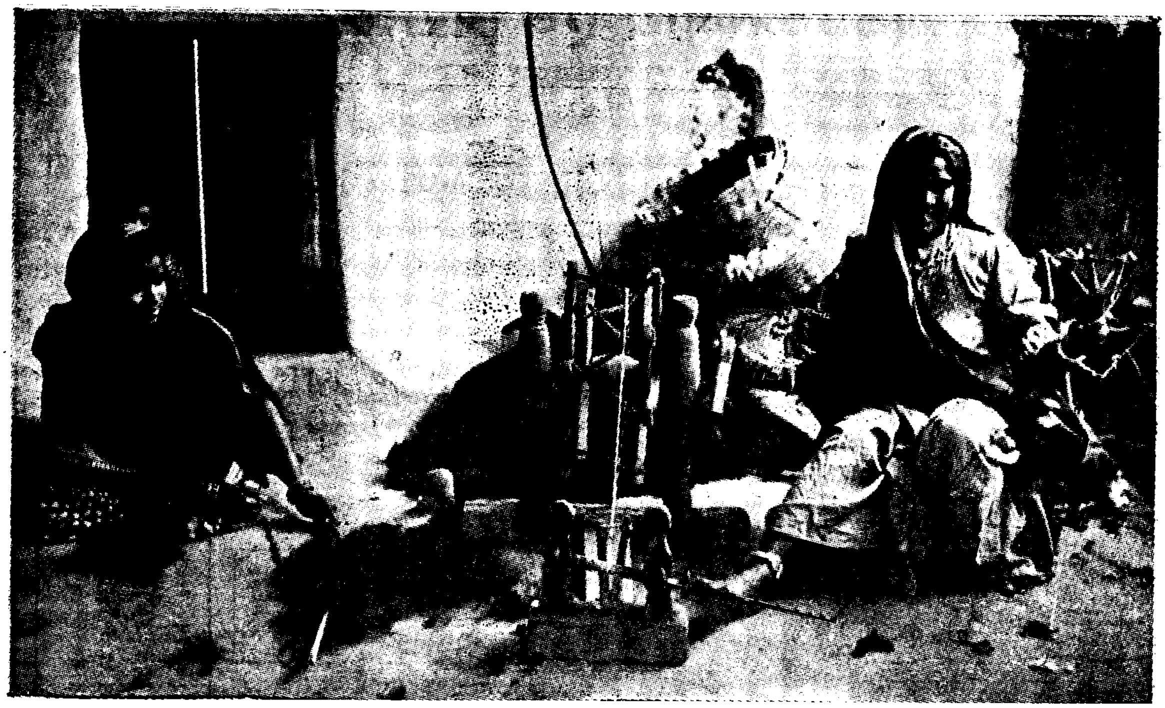

(भा० कृ० अ० प०)

लघु उद्योगों का निर्यात में योगदान ★ ओम प्रकाश गौड़

भारत की कुल आबादी का अस्सी प्रतिशत हिस्सा गांवों में निवास करता है, ऐसे देश के लिए लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत की आर्थिक क्रांति में छोटे उद्योगों को महत्वपूर्ण योगदान है। यह अब सर्वविदित है कि भारत जैसे देश का विकास मुख्य रूप से इन छोटे उद्योगों पर ही निर्भर करता है। लघु उद्योग विकास संगठन के सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि हमारे देश में इन उद्योगों में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश की डेढ़-लाख छोटी इकाईयां राष्ट्र के आर्थिक विकास में एक महत्व पूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं।

इन छोटे उद्योगों का देश के कुल उत्पादन में 40% योगदान (1975-76) में रहा है। इन उद्योगों की लागत पूंजी में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह राशि 1972 में 1058 करोड़ से बढ़कर 1975 में 1820 करोड़ हो गई और इन तीन वर्षों में उत्पादन 2900 करोड़ रुपए से बढ़कर 5700 करोड़ हो गया। 1976 में 67 अरब रुपए का माल तैयार हुआ। लघु उद्योगों की वार्षिक विकास दर इस वर्ष 18% रही है। छोटे उद्योगों में 80 लाख लोग रोजगार में लगे हुए हैं और 1450 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है। यहां पर एक बात महत्वपूर्ण यह है कि अब जो युवा वर्ग इन उद्योगों की ओर अग्रसर हो रहा है इससे इस क्षेत्र के विकास की संभावनाएं बढ़ गई है और वृद्धि भी हुई है जो हमारी योजनाबद्ध आर्थिक विकास कार्यक्रम का प्रतिफल है।

भारत वर्ष आजादी के समय सिर्फ कृषि-निर्भर पदार्थ तथा चाय, जूट, सूती कपड़े ही निर्यात करता था परंतु आज हमारा देश एक सक्षम निर्यातक है। आज बड़ी-बड़ी मशीनें तथा तकनीकी सेवाएं तक उपलब्ध हैं। भारत से अब भारी इंजीनियरिंग का सामान बड़े-बड़ेवि द्युत् उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि निर्यात किए जाते हैं। इसके अलावा, सूक्ष्म इलैक्ट्रो- निक उपकरण, इस्पात सीमेंट, चीनी, दवाइयां, चमड़े का सामान, सिग्रेट, चाय, जूट सभी निर्यात किए जाते हैं और भी बहुत सा सामान निर्यात किया जाता है और यह गर्व की बात है कि यह सामान अब विकासशील देशों को ही नहीं वरन् विकसित देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान को भी निर्यात किया जा रहा है। भारत को इस वर्ष कई महत्वपूर्ण प्रौजेक्ट विदेशों में लगाने के लिए मिले हैं। जिनमें लीबिया में थर्मल पावर स्टेशन तथा कुवैत में टाउनशिप भी है। देश का निर्यात 1950-51 में 600 करोड़ रु० से बढ़कर 1975-76 में 3863 करोड़ रुपए हो गया है।

देश के निर्यात में इन छोटे उद्योगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। 1971-72 में 155 करोड़ रुपए का माल विदेशों को भेजा गया है, जबकि 1974-75 में 540

के गले बांटा नहीं उतरता और वह बछिया के लिए छटपटाती। रत्ना बछिया को खोल चरी लेकर झूमर के नीचे दूध निकालने बैठ जाती। लल्लू और टिल्लू कटोरे लेकर दूध के लिए बैठ जाते, एक थन बछिया पीती और तीन से रत्ना तीन किलो दूध की चरी भरकर उठ जाती। फिर माँ बछिया को लाड़ से चाटती और बछिया पूंछ हिलाती, कूदती उसके पास बैठ जाती—दोनों बातें करतीं—"माँ तुम रोज रोज कहां चली जाती हो ?"

"जंगल में।'

"क्यों ?':

"घास चरने।"

"तो यहीं चरा करो ना, यह देखो ढेर सारी घास पड़ी है।"

"अगर घर बैठे चरा करूं तो यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगी।"

"समाप्त हो जाए तो मालिक और लाएगा, तुम्हें क्या फिक्र लगी ?"

"बेटी मालिक की फिक्र हम नहीं करें तो कौन करें ?"

"तो मुझे भी साथ ले जाया करो ना माँ।"

"नहीं बेटी।"

"क्यों।"

"मैं साथ ले जाना चाहूं तो भी मालिक नहीं जाने देगा।"

"क्यों माँ ? उसका क्या बिगड़ता है ?"

"दिन को तू मेरा दूध पी जाती है न इसलिए।"

"माँ तो तेरे दूध पर भी मेरा अधिकार नहीं।"

"है क्यों नहीं बेटी, मगर मालिक भी तो हमको खिलाता है, पिलाता है, उसके नमकहराम कैसे बन सकते हैं ?"

"तो मां मुझे ले चलना, मैं दिन को तनिक भी दूध नहीं पियूंगी।"

"लेकिन मालिक को यह बात कैसे कहें बेटी ?"

तुम्हें कहना नहीं आता तो मैं कह दूंगी।"

"अच्छा कह देना"—और उसे चाटने लगी।

दूसरे दिन प्रातः झूमर को खोलकर रत्ना पीटती हुई बाहर निकाल रही थी और बछिया जोर-जोर से 'अ...ब्बे अ...ब्बे,' कर रही थी। झूमर ने मुड़कर देखा, रुकी और चली गई। बछिया की किसी ने नहीं सुनी। बछिया को बड़ा क्रोध आया—"मैं कह रही हूं कि मैं दूध नहीं पियूंगी फिर भी मुझे माँ के साथ नहीं जाने दिया।" वह बंधनी तुड़वाकर दिन को भागकर पास ही जंगल में माँ से जा मिली। आज वह बहुत प्रसन्न थी। नाचती, कूदती और वह भी हरी-हरी घास चरने का अभ्यास करती। सांय काल होने आया और सभी गायें गांव की ओर जाने वाली सड़क पर कतारों में चल पड़ी।

अचानक एक ट्रक आंधी की तरह आया और ब्रेक लगाने की चूंकि आवाज के साथ झूमर के गले पर से निकलकर रुक गया। झूमर न बोली, न चिल्लाई। आंखें और जीभ बाहर निकल गई और वह सड़क के मध्य चित हो गई। मुंह से खून निकल रहा था और बछिया उसके पास खड़ी आज माँ को चाट रही थी और पुकार रही थी—"अ...ब्बे"—'माँ उठ, सड़क के मध्य क्यों सोई हुई है ? उठ, मुझे चाट और दूध पिला।"—लोगों की भीड़ जमा हो गई। रामू भी आ गया था। कोई बछिया को दूर हटाने को कह रहा था और रामू की आंखों में आंसू भर आये थे। टिल्लू और लल्लू भी आ पहुंचे और सिर पटक-पटक कर रोने लगे। वहीं पास में बछिया खड़ी थी। तहमद-धारी फेंटे वाला ड्राइवर ट्रक से उतरा—उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी, उसने कहा—

"अरे भैयन हो क्या गया है? हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल होई गया था।"

भीड़ में से कोई बोला—"मारो, इसे पकड़ो, साला शराबी है, शराब पीकर ड्राइवरी करता है। अन्धा हो गया था क्या ?"—एक व्यक्ति ने उसकी फेंट पकड़ी, दूसरे ने कमर और तीसरे ने लट्ठ उठा लिया। इतने में रामू बोला—"ठहरो, इसे छोड़ दो"—सब दूर हो गए। ड्राइवर का नशा उत्तर गया। वह होश में आया और रामू से बोला—

"बोलो इसकी कीमत ?"—और जेब में हाथ डाला।

रामू ने कहा—"इसकी कीमत ?—और एक नजर टिल्लू की ओर तथा दूसरी नजर लल्लू की ओर डाल फूट-फूट कर रोने लग गया। ड्राइवर ने जेब में रुपया नहीं मिलने का बहाना किया और अपने कोट की ओर निगाह डाल ट्रक में सवार हुआ और ट्रक ले भागा। कुछ लोगों ने पीछा किया—"पकड़ो पकड़ो साला भाग रहा है"—किन्तु देखते ही देखते ट्रक का छोटा सा बिन्दु सड़क पर नजर आने लगा और दूर एक मोड़ पर अदृश्य हो गया। किसी ने थाने में रिपोर्ट करने की सलाह दी तो किसी ने दूसरे किसी ट्रक द्वारा पीछा करने की।

रामू कुछ नहीं बोला और अपनी बछिया को पुचकारते हुए अपनी भुजाओं में उठाकर बोला—"चलो बेटी, माँ को गहरी नींद आ गई है। इसकी जल्दी ही नींद खुल जाएगी, और यह घर पर आ जाएगी। तुम्हें चाटेगी और दूध पिलाएगी।" —और घर के लिए चल दिया। दोनों ओर टिल्लू और लल्लू चल रहे थे। टिल्लू बोला—

"काका, झूमर जल्दी ही आ जाएगी न।"

"हां जल्दी ही आ जाएगी।"

"फिर दूध निकालेंगे।"

"हां इन्तजार करो बेटा। उसका नहीं निकालेंगे तो भी अब इस बछिया को बड़ा करेंगे, खिलायेंगे, पिलायेंगे। यह बड़ी होगी, गाभिन होगी। इसके भी ऐसी ही बछिया होगी और यह उसे दूध पिलाएगी। इसकी माँ भी तो ऐसी ही थी। एक दिन यह जरूर तुम्हें दूध पिलाएगी। इन्तजार करो बेटा।"—और रामू बछिया को बोचा देकर आंसू बहाता घर की ओर चल रहा था।

शिक्षा प्रसार अधिकारी,
पंचायत समिति, मावली,
जिला उदयपुर (राज.)

रूपक

खुले दरवाजे ★ प्रेम पाठक

तान से कबीर का दोहा गुनगुनाते हुए :—

चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर।
दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर ।।

साधु हरे राम ! हरे राम ! साधु को कुछ मिलेगा बच्चा। राम-राम सीता राम। जो दे उसका भी भला जो न दे उसका भी भला।

मंगली (चिल्लाते हुए) इन माँगने वालों ने तो नाक में दम कर रखा है। बाबा माफ करो। कोई और घर देखो कोई और······

साधु राम-राम। इतना खफा क्यों होती है, बेटी ! हम रोज के मांगने वाले नहीं है और न ही हम हर घर जाकर मांगते फिरते हैं। यह तो बाहर नाम लिखा था द्वार-पर। देवी दयाल शर्मा। तब ही खटखटा दिया तेरा दरवाजा बेटी। ब्राह्मण का घर समझ कर ही आए हैं तेरे द्वारे। शांति। शांति।

मंगली परन्तु महाराज किस-किस को दें। न जाने दिन भर में कितने लोग आ जाते मांगने। आप ही बताएं महाराज इतना कहां से लाएं। अपना गुजर तो मुश्किल से चला रहे हैं।

साधु शांति। शांति। अरे बेटी तू तो साक्षात अन्नपूर्णा हैं। फिर ऐसे कुवचन क्यों बोलती है ? भगवान तेरा सुहाग बनाए रखे तेरे खजाने भरे रखे, बेटी। (पति देवी दयाल शर्मा का प्रवेश।)

द०द० शर्मा बाबा जी, कहा तो इस समय फुर्सत नहीं है। आगे चलिए···ओफ।

साधु ब्राह्मण के घर से खाली हाथ कैसे चला जाऊं।

द०द० शर्मा महाराज, भगवान ने इतनी अच्छी सेहत दी है। कोई काम धंधा क्यों नहीं करते ?

साधु हम तो रमते साधु हैं, बच्चा। प्रभु की सेवा ही ती कर रहे हैं।

द०द० शर्मा वाह ! वाह ! खूब सेवा कर रहे हैं आप। और तो और भिक्षा मांगते समय भी नफरत के बीज बोते जा रहे हो।

मंगली (बीच में बोलते हुए) नाहक क्यों उलझ रहे हैं आप साधु महाराज से। साधु तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप होता हैं।

साधु ठीक कहा मेरी बेटी ने। तुम्हारी ही अधर्म बुद्धि है।

द०द० शर्मा बेटी तो ठीक ही कहेगी। भगवान को मध्यस्थ रख आप अपना स्वार्थ जो सिद्ध कर रहे हैं इसलिए।

साधु (आवेश में) अरे मूर्ख साधु की निन्दा कर अपने को विद्वान् समझता है जा···जा तेरा······।

मंगली नहीं···नहीं···महाराज ऐसा मत कहिए महाराज। क्रोध में मनुष्य को उचित-अनुचित का कुछ पता नहीं चलता।

द०द० शर्मा अरे रहने दे। खूब पता है मुझे उचित क्या है अनुचित क्या है। यह तो इनकी बुद्धि ही······

मंगली न जाने क्या हो जाता है आपको भी कभी-कभी। साधु की कभी आवज्ञा नहीं करनी चाहिए। कुछ हो गया तो······

द०द० शर्मा अरे कहीं कुछ नहीं होने का। (नम्र स्वर में) आओ बाबा, सच्चे कर्म करके समाज एवं संसार के दीन-दुखियों की सेवा करें।

साधु राम-राम। कैसा कलयुग आ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि :। तुम्हारे जैसे दुष्ट लोगों के कारण ही तो संसार में अशांति फैली हुई है और धरती पर तरह-तरह के अत्याचार हो रहे हैं।

द०द० शर्मा अत्याचार नहीं बढ़ेंगे तो और क्या होगा। न कोई काम न काज। निकल पड़ते हैं भगवान के नाम पर मांगने। साथ में छूआछूत और जाति-पाति की उल्टी पट्टी भी पढ़ाते हैं। क्या यही देश की सेवा कर रहे हैं आप।

साधु (तमतमाते हुए) बन्द करो बकवास। बड़ा ज्ञानी समझता है अपने को।

द०द० शर्मा क्यों नहीं···क्यों नहीं···कभी तो आप हरिजनों के लिए मन्दिरों के द्वार बन्द करवाते हैं, कभी दूसरे अंधविश्वास आदि फैलाते हैं और लोगों को भयभीत करते हैं सो अलग से।

साधु अरे मूर्ख। हम कुछ गलत नहीं करते। तुम्हीं बता दो हम क्या किया करें।

द०द० शर्मा आप···आप छोड़िए ऐसे धंधों को महाराज। सच्ची सेवा इसे नहीं कहते। जाति-पाति, छूआछूत एवं रंग-भेद की परम्परा को तुरंत खत्म कीजिए। देश में इस दिशा में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं कभी देखने सुनने की तकलीफ भी की है आपने। भारतीय संविधान ने अपने सभी नागरिकों की प्रगति के लिए दरवाजे समान रूप से खोल रखे हैं।

साधु सच कह रहे हो बेटा। जीते रहो। आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैंने भी अपने दिमाग के बन्द दरवाजे खोल दिए हैं। ★

पहला सुख निरोगी काया

फल एवं सब्जियों से रोगों की चिकित्सा ★ वैद्य गोपाल सहाय शर्मा

आम एवं जामुन: मीठे आम का रस 5 तोला, सौंठ 1 माशा पीस कर सुबह के वक्त पीने से जिन्हें खाना ठीक प्रकार से नहीं पचता है, उनका खाना हजम हो जाता है। आम का मीठा रस आधा पाव, दूध एक पाव, चीनी आधी छटांक मिलाकर लस्सी की तरह बनाकर पीने से शरीर की हर प्रकार की कमजोरी दूर होकर शरीर में शक्ति का संचार होता है।

लू लग जाने पर: दो कच्चे आम गर्म राख में भूनकर उनका गूदा निचोड़ कर थोड़ी बर्फ और चीनी मिलाकर दिन में दो बार पीने से लू की बीमारी दूर हो जाती है।

संग्रहणी एवं खूनी दस्तों में: जामुन के पेड़ की हरी छाल को छाया में सुखा कर बारीक कूट कर कपड़ा छन करके 3-3 माशा की मात्रा में सुबह शाम गाय के दही की लस्सी के साथ कुछ दिन सेवन करने से संग्रहणी नष्ट हो जाती है तथा जामुन की गुठलियों को एक तोला लेकर। छाटांक पानी में छानकर पिएं। खिचड़ी खायें। खूनी दस्तों का शमन हो जाएगा।

दांतों की बीमारी: जामुन की छाल बारीक करके मंजन की तरह मलने से दांतों की सभी बीमारियों के लिए बहुत लाभदायक है, पायरिया के लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद है।

पथरी: गाजर के बीज, शलगम के बीज 2-2 तोला और मूली को अन्दर से खोखली करलें तथा बीजों को उसमें भरकर मूली का मुख बन्द कर दें और गर्म राख में भुरते की तरह भून लें। जब भुन जावे तो बीज निकाल लें। खुराक 6 माशा सुबह-शाम पानी के साथ महीना भर खावें। पेशाब खुलेगा और पथरी घुलकर निकल जावेगी।

जिगर की गर्मी: गाजर दो छांटक, 3 पाव पानी में 2 छटांक गुड़ डालकर रात को आग पर पका लें। जब गाजर गल जावे तो सुबह चांदी का वर्क चढ़ाकर खायें। इससे जिगर की गर्मी दूर होती है और पीलिया के रोगी को बहुत फायदा होता है। 10 दिन के सेवन से दिल को ताकत मिलती है।

चेहरा साफ करने के लिए: गाजर का रस, टमाटर का रस, दोनों 2-2 तोला रोजाना दो मास तक मलने से चेहरे की झाइयां, दाग, मुहासे आदि दूर होकर चेहरा सुन्दर हो जाता हैं।

पीलिया: मूली के पत्ते एवं मूली को आधा पाव रस में दो तोला शक्कर मिलाकर सुबह के वक्त 10-20 दिन पीने से पीलिया रोगी को बहुत फायदा पहुंचाता है। तेल, गुड, खटाई नमक आदि का परहेज करें।

दाद के लिए: मूली के बीज, गन्धक आंवला सार, गूगल 2-2 तोला, नीला थोथा 6 माशा सब को बारीक पीस कर आधा पाव मूली के पानी में घोटें। जब पानी सूख जावे तो गोलियां बनायें। गोलियों को पानी में घिस कर दाद पर लगायें। कुछ दिन में दाद ठीक हो जाएगा।

दर्द गुर्दा: शोरा कलमी । तोला, मूली का रस आधा पाव, खरल करके छोटे बेर के बराबर गोलियां बनालें। एक-एक गोली सुबह-शाम ताजे पानी के साथ खाने से गुर्दे का दर्द ठीक हो जाता है।

पेशाब की खराबी: मूली का अचार जिसमें नमक और काली मिर्च हो रोजाना खाने से तिल्ली एवं पेशाब की खराबी को दूर करता है। मूली के पत्तों का लेप दाद को भी ठीक करता है।

बवासीर: एक मूली को खोखली करके उसमें रसौत 2 तोला भरकर मुंह बन्द करके उपलों की भूभर में रखें और दूसरे दिन रसौत को निकाल कर मूली के रस में बेर के बराबर गोलियां बनावें। एक गोली सुबह एक गोली शाम पानी के साथ लेने से खूनी बवासीर के रोगी के लिए बहुत लाभदायक है। गर्म चीजों का परहेज रखें तथा कब्ज नहीं होने दें। ★

द्वारा—राजवैद्य श्रीधर शर्मा
पुरोहित मौहल्ला
भरतपुर (राज०)

समाजवाद का सहारा ★कु०अमिता सिंह

बाहर से बढ़ता यह शोर कैसा ?
जग-जीवन में यह आक्रोश कैसा ?
किस नव-नारे ने किया है क्षुब्ध उनको ?
पर आश्वासन का सहारा तो मिला है सदैव ही उनको !
भूली-बिसरी परछाईयों से जाग चुकी है जनता,
ऐश्वर्य में डूबे जन को पहचान चुकी है जनता,
मांगेगी वह भी अपने रक्त का हिसाब,
पूछेगी कहां गया है तेरा वह 'समाजवाद' ?

साहित्य समीक्षा

विद्रोही आत्माएं : लेखक : **खलील जिब्रान, अनुवादक : श्रीपाद जोशी, प्रकाशक : यशपाल जैन, मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण : 1976, पृष्ठ : 177, मूल्य : आठ रुपये ।**

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विचारक तथा लेखक खलील जिब्रान द्वारा लिखित उद्बोधक कहानियों का अनुवाद इस पुस्तक में प्रस्तुत है । प्रसिद्ध लेखक ने अनेक पुस्तकों की रचना की है । सत्रह कहानियों का यह संग्रह भी विचार-प्रेरणा के संदर्भ में कम प्रसिद्ध नहीं । ये समस्त कहानियां किसी न किसी तरह हृदय को स्पर्श करने में पूर्ण समर्थ हैं । इनमें रोचकता के साथ उद्बोधन भी पर्याप्त रूप में उपलब्ध है ।

सबसे अच्छा, सुदृढ़ एवं सुसंस्कृत समाज वही है, जिसमें प्रत्येक मानव को उसकी अपनी आंतरिक शक्तियों के विकास की व्यवस्था है । जिस समाज में कुछ इने-गिने लोगों के सर्वांगीण विकास तथा अधिसंख्य जनता की उपेक्षा की पद्धति स्वीकृत है, वह समाज कभी भी सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता है । प्रस्तुत संग्रह में समाज तथा व्यक्ति में आपस में सर्वविधि समन्वय पर भी प्रकाश डाला गया है । व्यक्ति अपने विकास के लिए समाज तथा प्रकृति की अपेक्षा रखता है । मानव की ऐसी मनःस्थिति में ही उसके सारे सुख एवं दुःख समाहित हैं । व्यक्ति एकाकी कुछ कर नहीं सकता और समाज व्यक्ति के बिना अस्तित्वहीन है । अतः दोनों के पारस्परिक समन्वय पर ही विश्व-कल्याण निहित है । इन सारी बातों पर यह कहानी-संग्रह पर्याप्त प्रकाश विकीर्ण करता है ।

सारी कहानियां सरल-सुबोध भाषा में प्रस्तुत की गई हैं । अनुवाद में शिथिलता नहीं है । सम्पादन तथा मुद्रण समीचीन है ।

—डा० लक्ष्मीनारायण पाठक

ए/339, **सूर्यनगर, पो० चिकम्बरपुर, गाजियाबाद**

धरती का स्वर्ग, 'गृहस्थाश्रम' : लेखक पं० शिवकुमार शास्त्री, प्रकाशक: जन ज्ञान प्रकाशन वेद मन्दिर, नई दिल्ली-110005, मूल्य: 1·50 पैसे पृष्ठ संख्या 112

प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम परिच्छेद में लेखक ने उस स्वर्ग का वर्णन किया है जो केवल पौराणिक कल्पना मात्र नहीं अपितु इसी पृथ्वी पर है । यह स्वर्ग गृहस्थाश्रम ही है । इस स्वर्ग में प्रवेश के लिए योग्यताएं गिनाई गई हैं जो अत्यन्त रोचक बन पड़ी है । पुस्तक में गृहस्थाश्रम को सभी आश्रमों का आधार बताया गया है ।

द्वितीय परिच्छेद में बताया है कि जब पति-पत्नी के स्वभाव और संस्कार नहीं मिल पाते तो गृहस्थ आश्रम स्वर्ग नहीं रहता बल्कि नर्क बन जाता है ।

पुस्तक में दहेज की समस्या पर भी प्रकाश डाला गया है जो अत्यन्त मार्मिक बन पड़ा है । लेखक का कथन है कि दहेज के लोभी वर-वधु के सम्बन्धों का उचित निर्णय नहीं कर पाते । अतः गृहस्थाश्रम स्वर्ग न बनकर नर्क बन जाता है ।

लेखक ने पुस्तक में यह समझाने का प्रयत्न किया है कि पाश्चात्य सभ्यता का अन्धानुकरण ही आज हमारे दाम्पत्य जीवन में असन्तोष का कारण है । साथ ही यह भी कहा गया है कि स्त्री और पुरुष में परस्पर सरल भाव होना चाहिए जो गृहस्थ जीवन का आधार है । महाराज अज और इन्दुमती का प्रसंग इस कथन की पुष्टि करता है । पिता पुत्र के, सास बहू के, भाई-भाई के, बहन-बहन के, मित्र-मित्र के प्रति आपसी सम्बन्ध कैसे होने चाहिए इसे पुस्तक में बड़ी रोचक भाषा में दिया गया है । पुस्तक में उदाहरण और प्रसंग कुछ लम्बे हो गए हैं । कुल मिलाकर पुस्तक अच्छी बन पड़ी है और प्रत्येक गृहस्थ के लिए उपादेय और संग्रहणीय है । प्रूफ की अशुद्धियां नगण्य हैं । पुस्तक की साज-सज्जा सुन्दर है ।

—उमा कुमारी

किन्नरी : ले० गदाधर नारायण, प्र० प्रचारक बुक क्लब हिन्दी प्रचारक संस्थान, 106, पिशाचमोचन, वाराणसी मू० 3.00 रु० सदस्यों के लिए १.५० रु० पृष्ठ-१६५

किन्नौर की नारियां चूंकि हमेशा से रूप और लावण्य के लिए विख्यात रही हैं, इसलिये 'किन्नरी' की सृष्टि लेखक ने किन्नौरी मां की बेटी के रूप में की है । उसके सौन्दर्य में तो कोई कमी नहीं होती क्योंकि किन्नरी 'चन्दा' का सौन्दर्य ही तो दुधारी तलवार है जिसके द्वारा एक ओर लेखक उपन्यास को सामाजिक बनाने का प्रयास करता है तो दूसरी ओर उसमें सस्पेंस पैदा करने की चेष्टा करता है, हालांकि यह बात दूसरी है कि न उपन्यास सामाजिक बन पाया है, और न जासूसी । चन्दा के सौन्दर्य से चन्दन प्रभावित है और कहीं मन में उसको पीने की इच्छा रखता है, इसी बीच में जालपा (औपन्यासिक खलनायक) प्रकट होता है । वह भी चन्दा के सौन्दर्य पर मुग्ध है लेकिन उसका आकर्षण चन्दा को पत्नी बनाने में नहीं, वेश्यालय में ले जाने में है । जालपा की तकदीर जोर मारती है और 'चन्दर' बाहर चला जाता है । इसी बीच में जालपा अपने मित्र रणजीत की सहायता से चन्दा को भगाने में सफल हो जाता है । ऐसे में राजन की बुद्धि काम करती है और वह वेश बदल-बदल कर मोटर, गाड़ियों और न जाने किन-किन माध्यमों से [गुण्डों का पीछा करता रहता है । अन्त में चन्दा चन्दन को तमाम षडयंत्रों के बाद मिल ही जाती है । बीच-बीच में संस्कृत के श्लोक और अंग्रेजी के उदाहरण भी आपको इस उपन्यास में मिल सकते हैं ।

अन्ततः इतना ही कि अगर शिल्प के नाम पर उपन्यास में नाटकों जैसी संवाद-योजना हो और भाषा के नाम पर घिसे पिटे दार्शनिक वार्तालाप हों तो आप उसे क्या कहेंगे ?

—कु० क्षमा शर्मा

केन्द्र के समाचार

ग्रामीण उद्योगों की प्रगति

आज विज्ञान और टेक्नोलाजी का प्रयोग राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति और कृषि और ग्रामीण प्रगति, औद्योगीकरण, वातावरण सम्बन्धी सुधार आदि जैसी राष्ट्रीय विकास की अत्यंत ज्वलंत समस्याओं को सुलझाने में किया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान एवं टेक्नोलाजी समिति ने विज्ञान और टेक्नोलाजी योजना तैयार की है और 34 ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों का पता भी लगाया है जहां अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के द्वारा इन उद्योगों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है और इन उद्योगों में हाथ से किए जाने वाले कार्यों को कम किया जा सकता है। कुछ कार्यक्रमों को पांचवी योजना के दौरान लागू करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग सम्बन्धी विज्ञान और टेक्नोलाजी रिपोर्ट में खादी मधुमक्खी पालन, खाद्य एवं अखाद्य तेलों, ग्रामीण बर्तन उद्योग खजूर के गुड़, खण्डसारी, चूना उद्योग और चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में जोरदार प्रयासों की आवश्यता पर बल दिया गया है। इस रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों की आमदनी बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी बल दिया गया है।

इस क्षेत्र में हाल ही में चलाए गए कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रत्येक मधुमक्खी छत्ते से अधिक शहद उत्पादन और इसके साथ-साथ अन्तर-मधुमक्खी पराग संचन के तरीके से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, खाद्य एवं अखाद्य तेलों को बनाने में काम आने वाले यंत्रों के डिजाइनों में सुधार करने, खजूर से मिसरी बनाने और साफ करने के उपकरणों में और अधिक सुधार करने और अधिक अच्छे प्रकार के बर्तन पकाने के भट्टों का डिजाइन आदि बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा, कंकड़ से 'हाइड्रो-सीमेंट' बनाने के सम्बन्ध में भी अनुसंधान किया जा रहा है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1975-76 के दौरान इन सभी परियोजनाओं को अपनी सहायक संस्थाओं के माध्यम से कार्य रूप देगा। इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए 11.33 लाख रुपये निर्धारित किए गए थे। 1976-77 के लिए लगभग 19 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 1977-78 के लिए निर्धारित राशि बढ़ा दी गई है और चालू योजनाओं को लागू करने आदि पर 40 लाख रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है।

महिला प्रशिक्षण योजना

समाज कल्याण विभाग ने ग्रामीण महिलाओं को जन-सहयोग में प्रशिक्षण देने की योजना को केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल को सौंप दिया है।

इस योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं को ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों की महिलाओं के प्रशिक्षण शिविर लगाने के लिए अनुदान दिया जाता है। सीमावर्ती गांवों में प्रत्येक महिला के लिए 160 रुपये और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में 125 रुपये का अनुदान दिया जाता है।

जन-सहयोग की यह योजना अक्तूबर, 1962 में शुरू की गई थी। प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम में पहली बार 1968 में और फिर 1972 में संशोधन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा के साथ-साथ प्राथमिक चिकित्सा, गृह परिचर्या, आग बुझाना, स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि और पशुपालन की मूल बातें बताई जाती हैं और बालबाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा, महिला मंडल आदि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, कुटीर और लघु उद्योगों का भी थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रत्येक शिविर में 40 से 50 प्रशिक्षणार्थी होते हैं। प्रत्येक शिविर की अवधि 3 सप्ताह या उससे अधिक होती है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 14 राज्यों की विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए 12.7 करोड़ रुपये और स्वीकृत किए हैं। इस निगम ने 32 नई योजनाओं को स्वीकृति दे दी है जिनसे 1737 गांव लाभन्वित होंगे। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत गांवों के 11,200 सिचाई के पंप सैटों तथा 1250 कृषि आधारित लघु उद्योगों को बिजली देने की योजना है। इसके अलावा, इन परियोजनाओं के अन्तर्गत 29,500 घरेलू और व्यावसायिक कार्यों के लिए, और सड़कों के लिए 10,000 से अधिक बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। इन परियोजनाओं में 14 परियोजनाएं पिछड़े क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से निर्धारित की गई है। इस उद्देश्य से 5.55 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है।

इस निगम ने जम्मू और कश्मीर में एक करोड़ रुपये की लागत वाली ग्रामीण विद्युत् सहकारी परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इस प्रकार की यह राज्य में पहली और देश में 12वीं परियोजना है। एक सहकारी परियोजना को 1.81 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी जाएगी जिससे जम्मू जिले के साम्बा तहसील के

अन्तर्गत 280 गांव लाभन्वित होंगे। इस स्वीकृति की एक विशेष बात यह भी है कि लाइनमैनों के लिए चार प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले जाएंगे। इनमें से एक केन्द्र रांची (बिहार) में, एक करनाल (हरियाणा) में और दो लुधियाना और अमृतसर (पंजाब) में होंगे। इन प्रशिक्षण केन्द्रों को 24 लाख रुपये का सहायता ऋण प्रदान किया जाएगा। इस निगम ने महाराष्ट्र विद्युत् बोर्ड को 12 विद्युतीकरण योजनाओं को लागू करने में मूल्य वृद्धि के कारण बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के साथ 90 लाख रुपये की ऋण की स्वीकृति दी है। इस निगम ने महाराष्ट्र बोर्ड को ग्रामीण क्षेत्रों के 131 हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाने के लिए भी लगभग 6 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

इन नई परियोजनाओं को मिलाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम अब तक 1550 से भी अधिक योजनाओं को स्वीकृति दे चुका है। इन योजनाओं को मिलकर अब तक स्वीकृत की गई कुल योजनाओं से 1.21 लाख गांव लाभन्वित होंगे और गांवों के 8.6 लाख सिंचाई पंप सैटों, 1.34 लाख लघु उद्योग इकाइयों को बिजली दी जा सकेगी। अभी तक यह निगम 665.15 करोड़ रुपये से अधिक का सहायता ऋण स्वीकृत कर चुका है।। आज तक यह निगम देश के अनेक राज्यों और ग्रामीण विद्युत् सहकारी समितियों को 404 करोड़ रुपये वितरित कर चुका है।

ग्रामोन्मुखी औद्योगिक विकास

केन्द्रीय उद्योग मन्त्री श्री ब्रजलाल वर्मा ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार की नीति उद्योगों के विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहित करने, लघु उद्योगों के विकास में सहायता देने और औद्योगिक विकास को ग्रामोन्मुखी बनाने की है।

इसका उद्देश्य रोजगार की नई सुविधाएं उपलब्ध करना और गांवों तथा कस्बों में रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है।

श्री वर्मा का कथन है कि आज पहली जरूरत इस बात की है कि उद्योग उत्पादन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहित करें। सहायक उद्योगों का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान कहां तक नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मार्ग दर्शन देते हैं। उनके द्वारा निर्मित माल की जांच की सुविधाएं प्रदान करते हैं और उनके उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं के लिए आर्डर देते हैं। इसके लिए नए दृष्टिकोण तथा वर्तमान उद्योगपतियों की तैयारी भी जरूरी हैं।

गेहूं की वसूली सामान्य

पिछले दो-तीन दिनों में विभिन्न मंडियों में वसूली करने वाली एजेंसियों ने वसूली का काम और तेज कर दिया है। इनमें भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों और सहकारी समितियां शामिल हैं। व्यापारी भी इन मंडियों में सौदे करते हैं।

नई दिल्ली में प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 मई के अन्त तक विभिन्न मंडियों में 3,47,689 टन गेहूं आया। केवल 2 मई को ही 67,185 टन गेहूं आया। इनमें से वसूली का काम करने वाली एजेंसियों ने विभिन्न मंडियों से 61,051 टन गेहूं खरीदा। इस प्रकार कुल वसूली 2,92,097 टन हो गई जो पिछले वर्ष की वसूली जितनी ही है।

विभिन्न राज्यों में पहली मई 1977 को खुले बाजार में बिकने वाले गेहूं के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार थेः—हरियाणा में 110 रुपये से 124 रुपये, मध्य-प्रदेश में 110 से 160 रुपये, महाराष्ट्र में 140 रुपये, पंजाब में 108 रुपये से 117 रुपये, राजस्थान में 100 रुपये से 140 रु०, उत्तर-प्रदेश में 103 रुपये से 124 रुपये और पश्चिम बंगाल में 105 रुपये से 130 रुपये।

घटिया किस्म के गेहूं के भाव 110 रुपये प्रति क्विंटल से कम रहे। जो किसान गेहूं को ठीक प्रकार से साफ करके लाए, उन्हें अधिक दाम मिले।

पोषण कार्यक्रम के लिए उपकरण

भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मन्त्रालय के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग में सचिव, श्री आई० जे० नायडू और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात सहायता कोष के क्षेत्रीय निदेशक, श्री टी. जी. डेविस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त राष्ट्र संघ से "व्यावहारिक पौषण कार्यक्रम" के अंतर्गत "पूर्ति और प्रबंध" से संबधित आयातित उपकरण सम्बन्धी कार्य अपने नियंत्रण में ले लेगा। अब तक यह कार्य संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष का स्थानीय कार्यालय कर रहा था।

केन्द्र सरकार द्वारा चलाया जाने वाला व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम देश में कई वर्षों से चल रहा है। राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की सहायता से इसे लागू करती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ इस कार्यक्रम के अंतर्गत बागवानी, मत्स्य पालन, पशु-पालन के विकास तथा महिला-मंडलों और युवा क्लबों को उनकी आर्थिक गतिविधियों के लिए विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराता है जिससे उनकी आय बढ़ सके। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात सहायता कोष से प्रशिक्षण संस्थाओं को श्रव्य तथा दृश्य साधनों सम्बन्धी सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है तथा प्रशिक्षण पाने वालों को वजीफा आदि देने के लिए नकद रुपया भी दिया जाता है।

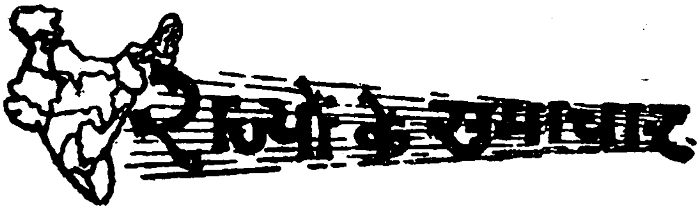

उत्तर प्रदेश

बीज निगम को सहायता

उत्तर प्रदेश बीज निगम की स्थापना के लिए विश्व बैंक से 19.45 करोड़ रुपए की सहायता मिलने की आशा है।

एक अधिकृत विज्ञप्ति के अनुसार यह संभावना विश्व बैंक के प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री त्रिभुवन प्रसाद व अन्य अधिकारियों के साथ हुए विचार-विमर्श के वाद व्यक्त की गई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय बीज परियोजना के अन्तर्गत 'उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम' स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जिससे कृषकों को अधिकाधिक मात्रा में प्रमाणित बीज उपलब्ध हो सकें। विश्व बैंक के दल ने इस प्रस्ताव की सराहना करते हुए इसके लिए उपयुक्त धनराशि देने का संकेत किया।

बैंक के प्रतिनिधियों ने कानपुर तथा फैजाबाद कृषि विश्व-विद्यालयों में उपलब्ध बीज परीक्षण तथा प्रक्रिया इकाइयों का परियोजना क्षेत्र भी देखा। कानपुर तथा फैजाबाद के क्रमशः 8200 तथा 6500 हेक्टेयर क्षेत्र बीज उत्पादन के लिए प्रस्तावित हैं।

मध्य प्रदेश

सिंचाई की नई योजनाएं

इन्दौर संभाग के सबसे पिछड़े आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में पेयजल व सिंचाई सुविधा मुहैया करवाने के लिए हाल ही में कई योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं। 88 लाख 25 हजार की लागत से आठ नए सिंचाई तालाब बनाए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति शासन से प्राप्त हो गई है।

जिले में पेयजल की उपलब्धि की दृष्टि से 576 समस्या-मूलक ग्राम हैं। इन ग्रामों में 757 नलकूप लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग ने खोदे थे। लेकिन ठीक ढंग से इस्तैमाल व रख रखाव नहीं हो पाने की वजह से 630 नलकूप बिगड़ गए व बंद हो गए हैं। अब इन नलकूपों को पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया गया है और जनपद पंचायतों को एक-एक मैकेनिक दिया जा रहा है। प्रत्येक नलकूप को सुधारने पर 150 रु० तक खर्चा किया जा सकेगा। नलकूपों की दुरुस्ती से पेयजल की समस्या हल हो जाएगी।

जिले में सड़क परिवहन को सुगम बनाने हेतु प्राथमिकता आधार पर झाबुआ-पारा मार्ग पर सापन नदी का पुल 3 लाख 84 हजार की लागत से बनाया जा रहा है। बामनिया-करवड़ मार्ग पर लाइकी नदी पर 10 लाख रु० की लागत ने पुल के निर्माण हेतु टैंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं।

कोंटा आदिवासी परियोजना

बस्तर जिले में कोंटा आदिवासी विकास परियोजना के विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों में अब तक 35,200 से अधिक आदिवासी लाभ उठा चुके हैं।

इस क्षेत्र में सिंचाई, बिजली और सड़कों के विकास पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में अब तक 278 कुएं खोदे गए हैं, 128 पंपसेट लगाए गए हैं और 25 अन्य कार्य चालू हैं जिनसे कोई 4 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी।

इस इलाके में सड़कें बनाने का कार्य भी जारी है और अब तक 107 किलोमीटर लम्बी चार बड़ी सड़कें तथा 100 किलो-मीटर लम्बी नौ सम्पर्क सड़कें बनाई भी जा चुकी हैं।

धान उत्पादन में प्रथम पुरस्कार

मध्य प्रदेश में रायपुर जिले के गांव गोमची नाहरपाड़ा केलकर गादन के निवासी श्री नारायण चावड़ा को 1976-77 में धान की अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। श्री चावड़ा ने प्रति हेक्टर 119.85 क्विटल धान उगाया।

द्वितीय पुरस्कार गुजरात में जिला बड़ौदा, सावली ताल्लुक, गांव ऊलपुर के पटेल ओऊस्का फार्म के श्री इन्दुभाई छोटोभाई पटेल को दिया गया है। इन्होंने प्रति हेक्टर 112.89 क्विटल धान का उत्पादन किया।

तृतीय पुरस्कार आंध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी जिले के ताल्लुक तमुक, गाँव गोनेरु के श्री पी० वेंकट पति राजू को मिला है। इन्होंने प्रतिहेक्टर 97.03 क्विटल धान पैदा किया।

प्रथम पुरस्कार विजेता को 3000 रुपए नकद इनाम के साथ-साथ कृषि पण्डित की उपाधि दी जाती है। द्वितीय पुरस्कार

विजेता को 1200 रुपए और तृतीय तुरस्कार विजेता को 800 रुपए के नकद पुरस्कार दिए जाते है।

ये पुरस्कार इस वर्ष किसी समय होने वाले एक विशेष समारोह में दिए जाएंगे।

छोटे किसानों की सहायता

राजनंदगांव जिले में वर्ष 1976-77 में लघु कृषक विकास अभिकरण ने 10,092 छोटे किसानों को 3518 लाख रु० की सहायता और ऋण सुलभ कराए। इनमें से 26·63 लाख रुपए सहकारी बैंकों द्वारा 9,146 छोटे किसानों को ऋण के रूप में दिए गए जबकि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 946 लघु कृषकों को 8·55 लाख रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए। विभिन्न कृषि कार्यों जैसे उन्नत बीजों या नई फसलों के लिए, फलों और साग-सब्जी, बागवानी, जमीन को योग्य बनाने, बैल खरीदने आदि के लिए 10,333 छोटे और सीमांत किसानों को ऋण सुलभ कराए गए जिनमें से 5,321 हरिजन किसान थे। 1921 लोगों को लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋण दिए गए और इनके अंतर्गत अन्य कार्यों के अलावा 1975-77 में 346 नए कुएं खोदे गए। 251 पंपसैट लगवाए गए। 37,575 लोगों को कृषि विकास अभिकरण की योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित करने योग्य पाया गया और 5,281 लोगों की विभिन्न सहकारिताओं का सदस्य बनाया गया।

कृषि गणना कार्यक्रम

राज्य में कृषि गणना 1976-77 कार्यक्रम का पहला चरण पूरा हो गया है। इसके अंतर्गत खरीफ आदान सर्वेक्षण में राज्य के 736 चयनित गांवों के कृषकों से उनकी खरीफ फसल के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्रित कर ली गई है।

प्रत्येक गांव के 20 चयनित कृषकों से उनके द्वारा खरीफ 1976 में प्रयोग में लाई गई देशी व रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाइयों आदि के बारे में उपयोगी सूचना एकत्रित की गई हैं।

उनसे यह भी जानकारी प्राप्त की गई है कि उन्होंने इस सामग्री का कितने असिंचित क्षेत्र में प्रयोग किया था। प्रत्येक कृषक की जोत के अन्तर्गत एक ही भूखण्ड है अथवा कई भूखण्ड है। यह भी मालूम किया गया है कि उनकी जोत अपने गांव की सीमा में हैं अथवा अलग-अलग गांवों में है।

बिजली की जगमग

कोटा जिले की शाहवाद पंचायत समिति क्षेत्र के केलवाडा गांव के आदिवासी-सहरिया-कल शाम को उस समय खुशी से झूम उठे जब जिलाधीश ने स्विच दबा कर उनके गांव को बिजली की रोशनी से जगमग कर दिया। बिजली की सुविधा अब तक किशनगंज तहसील मुख्यालय पर ही उपलब्ध थी।

केलवाडा गांव को बिजली से जगमग करने का आश्वासन जिलाधीश ने फरवरी में दिया था। गांव के विद्युतीकरण के लिए भारतीय रेडक्रास सोसायटी की ओर से 1 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

विद्युतीकरण के लिए 54 अश्वशक्ति का 34 किलोवाट क्षमता का एक जनरेटर लगाया गया है। साढ़े तीन कि० मी० लम्बी बिजली के तारों की लाइन डाली गई है और 56 खंबों पर बल्व लगाए गए हैं।

राजस्थान

उपभोक्ता परियोजनाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य के 7 जिलों के लिए विशेष परियोजनाएं स्वीकृत की गई है जिन पर 12 लाख रु० का व्यय होगा।

ये परियोजनाएं अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, श्रीगंगानगर व जयपुर जिलों के लिए स्वीकृत हुई है। इनको लागू करने का दायित्व जिले के होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को सौंपा गया है। जयपुर जिले में यह कार्य राजस्थान उपभोक्ता भण्डार संघ द्वारा किया जाएगा।

प्रत्येक परियोजना में जिले की 20-25 ग्राम सेवा सहकारी समितियां होलसेल भण्डार से सम्बद्ध होगी जिन्हें ये भण्डार आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराएंगे।

पंजाब

नया चावल अनुसंधान केन्द्र

पंजाब में आगामी खरीफ से पहले पटियाला में एक नया चावल अनुसंसान केन्द्र स्थापित कर दिया जाएगा। गुरदासपुर स्थित वर्तमान अनुसंधान केन्द्र को भी मजबूत बनाया जा रहा है।

आजकल चावल अनुसंधान का मुख्य कार्य कपूरथला में किया जा रहा है। परन्तु पंजाब में चावल उगाने वाले क्षेत्र पटियाला, अमृतसर और फिरोज़पुर जिलों में हैं।

गुरदासपुर स्थित अनुसंधान केन्द्र उप-पर्वतीय क्षेत्र और पटियाला का नया अनुसधान केन्द्र 'पेपसू' क्षेत्र की आवश्यताओं को पूरा करेगा।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजाब में चावल उगाने का क्षेत्र 2 लाख हेक्टर से बढ़कर 5 लाख हेक्टर हो गया है। उत्पादन की मात्रा भी 22 लाख टन तक जा पहुंची है।

आजकल मोटे किस्म के चावल की औसत पैदावार 38 क्विंटल प्रति हेक्टर है। उत्तम किस्म की पैदावार इससे आधी है।

कपास अनुसंधान

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने अमरिकी कपास के बारे में अनुसंधान करने के लिए अमृतसर के निकट गोनियानामें क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र खोलने का निश्चय किया है।

इसी तरह संगरूर जिले में खेरी में देशी कपास के अनुसंधान के लिए एक अतिरिक्त अनुसंधान केन्द्र भी स्थापित किया जाएगा। इस क्षेत्र की 45 प्रतिशत भूमि में देशी कपास की खेती की जाती है।

पंजाब की भूमि कपास उत्पादन के बड़ी अनुकूल है। देश में जितना कपास उत्पादन होता है उसका 17 प्रतिशत उत्पादन पंजाब में होता है। इस राज्य की 12 लाख एकड़ भूमि में कपास उगाई जाती है, जिससे प्रतिवर्ष कपास की 12 लाख गांठों का उत्पादन होता है। पंजाब में कपास का औसत उत्पादन 370 किलो प्रति हेक्टर है।

"प्रत्येक क्यारी लहलहाएगी"

लगन की यह लहर अब हर ओर आएगी।
प्रगति की प्रत्येक क्यारी लहलहाएगी॥
घोल देगी सुख के शर्बत में बसन्ती रंग।
हर दुखी की आत्मा मंगल मनाएगी॥
खेत फूलेंगे सजेंगे क्यारियों के अंग।
चंग या मिरदंग मद में बहक जाएगा॥
झूमती अमराईयों में कोयलों के रास।
आंख को आनन्द के रूपक दिखाएगी॥
मत डरो परछांई से भी हों अमर सम्बन्ध।
और भी सम्बन्ध को व्यापक बनाएगी॥
उठे जिस क्षण न्याय करने फैसला सच्चा।
जुल्म, हिंसा एक पल भी कर न पाएगी॥

★जानकी प्रसाद विवश'

डा० स्वामिनाथन का सम्मान

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक डा० एम० एस० स्वामिनाथन को अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का विदेशी असोसिएट चुना गया है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, अमेरिका का सर्वोच्च विज्ञान संगठन है। इससे पहले डा० स्वामिनाथन को लन्दन की रायल सोसायटी का सदस्य चुना जा चुका है। डा० स्वामिनाथन पहले ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें लन्दन की रायल सोसाइटी तथा अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी दोनों की सदस्यता प्रदान की गई हैं।

डा० स्वामिनाथन ऐसे तीसरे भारतीय वैज्ञानिक है जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रीय अकादमी का विदेशी सदस्य चुना गया है। अन्य दो भारतीयों में से एक हैं डा० वी० रामलिंगस्वामी, जो नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय मेडिकल इन्स्टीटयूट के निदेशक हैं तथा दूसरे हैं डा० डी० लाल, निदेशक, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद। इन्हें क्रमश: 1973 व 1975 में सदस्य चुना गया था।

रायल सोसाइटी का सदस्य डा० स्वामिनाथन को 1970 में बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी तथा भारतीय विज्ञान अकादमी के सदस्य के अतिरिक्त वे भारतीय विज्ञान की राष्ट्रीय अकादमी के मानद सदस्य भी हैं।

शान्तिस्वरूप भटनागर पुरस्कार समेत वे अनेक विज्ञान पुरस्कारों के विजेता भी हैं। इनमें भारतीय वनस्पति सोसाइटी का बीरबल साहनी पदक, चेक विज्ञान अकादमी का मेण्डल शताब्दी पदक तथा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का रजतजयंती स्मृति पदक आदि सम्मिलित हैं। वर्ष 1971 में उन्हें रेमन मंगासेसे पदक भी सामुदायिक नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। यह पदक भारत के कृषि क्षेत्र में नया विश्वास पैदा करने की उनकी क्षमताओं की योग्यता के लिए प्रदान किया गया था। ★

(भा० कृ० अ० परिषद)

इस वर्ष गेंहू की फसल बहुत बढ़िया थी पर ज्यों ही फसल खेतों से खलिहानों में गई, लगातार वर्षा होने लगी और बेचारे किसानों का लाखों मन गल्ला सड़ गया और बेकार हो गया। किसान अभी भी अपनी फसल खलिहानो से नहीं उठा पाए हैं। चित्र में कृषक महिलाएं गेंहू की बालियां ढोती हुई।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-1 द्वारा प्रकाशित और
केसर क्यारी इलैक्ट्रिक प्रेस, फरीदाबाद-121003 में मुद्रित।

अन्न गोदामों के निर्माण में तेजी

गोदाम से लिए गए अनाज के नमूने (भा० कृ० अ० प०)

जी. सी. एल. जुनेजा

इस समय देश में लगभग एक करोड़ 80 लाख टन अनाज का भंडार है। यह पिछले वर्ष 12 करोड़ आठ लाख टन अनाज का रिकार्ड उत्पादन होने के कारण संभव हो पाया है। यह अनाज का समुचित सुरक्षात्मक भंडार रखने की सरकारी नीति के अनुसार है। चालू वर्ष में भी भरपूर फसल होने की आशा है।

इनसे रक्षा के लिए क्या गोदाम जरूरी नहीं ? (भा० कृ० अ० प०)

परन्तु इसके साथ ही साथ इस अनाज को रखने के लिए वैज्ञानिक गोदामों की भी समस्या सामने खड़ी हो गई है और इसी कारण 50 लाख टन अनाज को आवरण आदि से ढक कर रखने की व्यवस्था की गई है। परन्तु इस व्यवस्था को थोड़े समय के लिए ही संतोषजनक कहा जा सकता है।

वैज्ञानिक ढंग के गोदाम बनाने का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। 32 लाख टन की क्षमता वाले गोदामों के निर्माण के लिए विश्व बैंक से भी सहायता मांगी गई है। निस्संदेह इस मामले में विशेष रूप से सचेष्ट रहने की आवश्यकता है। जिन सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य गोदाम निगमों को अनाज रखने का काम सौंपा गया है, उनके संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। केन्द्रीय गोदाम निगम के उच्च सेवा स्तर को बराबर बनाए रखते हुए राज्य गोदाम निगमों के कार्य को और अच्छा बनाने का भी प्रयास करना जरूरी है।

इस समय केन्द्रीय और राज्य गोदाम निगमों की क्षमता 72 लाख मीट्रिक टन है और यह भी पूरी तरह भरे हुए हैं। देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर, गोदाम की सुविधा प्रदान करने के लिए, 1200 गोदाम हैं। ★

—खाद्यसचिव श्री जुनेजा के भाषण पर आधारित

तीर्थानां हृदयं तीर्थम्

तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हृदय है